



कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / स्टेनो / 1175
प्रति,

/ लोरमी / दिनांक 15 / 02 / 2022

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- Proposed for non-forestry use of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of villages in Mungeli Forest Division from the Core Area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh)-regarding.

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्र./भू.प्रबंध/मा.चि. /115-818/8061 रायपुर, दिनांक 17/12/2021 एवं आपका पत्र क्रमांक/मा.चि. /2571 मुंगेली, दिनांक 22/12/2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख हैं कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्रामों के व्यवस्थापन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों पर बिन्दुवार सहमति प्रदान कर प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :-

A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval.


i.	State Government shall submit the certificate of compliance under FRA, in both the areas i.e. the area being vacated and the area where the people will be relocation.	प्रस्तावित स्थल एवं रिक्त किये जा रहे स्थल में वन अधिकार वितरण संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न।
ii.	The area to be vacated shall be mutated in the name of State Forest Department and notified as RF/PF.	रिक्त किये जा रहे क्षेत्र RF के रूप में अधिसूचित हैं। अतः आवश्यकता नहीं।
iii.	State Government shall ensure that the area under the three villages that are proposed to be shifted outside the Achanakmar Tiger Reserve (ATR) will become inviolate after the shifting and not a single family, person or household is left within any of these villages for further relocation.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-01 संलग्न।
iv.	The State Govt. shall submit the approved R&R Plan from the concerned authority. And	R&R Plan संलग्न हैं
v.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-02 संलग्न।

B. Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department and undertaking in this respect shall be submitted prior to Stage-II approval.

i.	Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the state in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 and Ministry's Guidelines dated 20.05.2019.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-03 संलग्न।
ii.	State Government shall take effective steps to ensure that the villagers who are being relocated from the core area, do not return to the area.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-04 संलग्न।
iii.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-05 संलग्न।
iv.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-06 संलग्न।
v.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986, if required.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-07 संलग्न।
vi.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-08 संलग्न।
vii.	The forest land proposed to be diverted may be transferred by the State Government to villagers being rehabilitated.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-09 संलग्न।
viii.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-10 संलग्न।
ix.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-11 संलग्न।

x.	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wild life.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-12 संलग्न।
xi.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project, and	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-13 संलग्न।
xii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त मान्य हैं। वचन पत्र मय अनुलग्नक-14 संलग्न।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन मय 14 वचन पत्र।


 उप संचालक
 अचानकमार टाईगर रिजर्व
 लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्र./व.प्रा./स्टेनो/ 1176

/लोरमी, दिनांक 15 / 02 / 2022

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
 2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
 3. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।


 उप संचालक
 अचानकमार टाईगर रिजर्व
 लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला मुंगेली (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक/2025/भू-अभि./अ.भू.अ./2022
प्रति,

मुंगेली दिनांक 03/02/2022

उप-संचालक

अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी जिला-मुंगेली (छ.ग.)

विषय:- अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापित किये जाने वाले 03 ग्रामों में वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।
संदर्भ:- कार्यालय उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व का ज्ञा.क्र./व.प्रा/स्टेनो /543 लोरमी, दिनांक 25.01.2022।

-----00-----

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से 03 ग्रामों (तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा) के व्यवस्थापन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1990 अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों पर वांछित जानकारी चाही गई है। भारत सरकार के अधिरोपित शर्त क्र. A. (i) में रिक्त किये जा रहे क्षेत्र एवं व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 " का पालन प्रतिवेदन के संबंध में प्रमाण पत्र चाही गई है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) लोरमी के ज्ञापन क्रमांक/140/रीडर/2022 लोरमी, दिनांक 01.02.2022 के अनुसार चाही गई जानकारी प्रेषित की गई है, तदनुसार व्यवस्थापित किये जाने वाले 03 ग्रामों (तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा) में वितरित वन अधिकार पत्र संबंधी प्रमाण पत्र पृथक-पृथक ग्रामवार फार्म-2 में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



कलेक्टर


जिला-मुंगेली (छ0ग0)

मुंगेली दिनांक 03/02/2022

पृ.क्रमांक/2026/भू-अभि./अ.भू.अ./2022
प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी जिला मुंगेली (छ.ग.)


कलेक्टर
जिला-मुंगेली (छ0ग0)



FORM-II
(For Project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the Collector Mungeli (C.G.)

No. 2025

Dated... 03/02/22


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) Government of India letter no. 8-93/2013-FC(pt.) dated 13rd December, 2021 where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) Compliance report of the Recognition of Forest Rights Act 2006 of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers in the case of Relocation of villages From Core Area of Achanakmar Tiger Reserve

It is certified that the rights of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers have been established by following the entire procedure laid down in the Recognition of Forest Rights Act 2006, in the village Tilaidabara to be Relocation of villagee From core area of Achanakmar Tiger Reserve, and the rights of the entire area have been established. Forest land 566.977 Hactares and revenue land is Nill.

The number of holders of Forest Rights Recognition Card granted in the proposed village Tilaidabara for displacement are as follows:-

No.	Name of Village	Forest Rights Recognition Card holders No.	Area (Hac.)
1	2	3	4
1	Tilaidabara	36	6.550


 Ajeet Vasant
 (I.A.S.)
 District Collector
 Mungeli (C.G.)

FORM-II
(For Project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the Collector Mungeli (C.G.)

No. 2225

Dated..... 03/02/22


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) Government of India letter no. 8-93/2013-FC(pt.) dated 13rd December, 2021 where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) Compliance report of the Recognition of Forest Rights Act 2006 of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers in the case of Relocation of villages From Core Area of Achanakmar Tiger Reserve

It is certified that the rights of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers have been established by following the entire procedure laid down in the Recognition of Forest Rights Act 2006, in the village Birarpani to be Relocation of villagee From core area of Achanakmar Tiger Reserve, and the rights of the entire area have been established. Forest land 254.950 Hactares and revenue land is Nill.

The number of holders of Forest Rights Recognition Card granted in the proposed village Birarpani for displacement are as follows:-

No.	Name of Village	Forest Rights Recognition Card holders No.	Area (Hac.)
1	2	3	4
1	Birarpani	34	42.21


 Ajeet Vasant
 (I.A.S.)
 District Collector
 Mungeli (C.G.)

FORM-II
(For Project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the Collector Mungeli (C.G.)

No. 2025

Dated.....03/02/22.....


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) Government of India letter no. 8-93/2013-FC(pt.) dated 13rd December, 2021 where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) Compliance report of the Recognition of Forest Rights Act 2006 of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers in the case of Relocation of villages From Core Area of Achanakmar Tiger Reserve

It is certified that the rights of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers have been established by following the entire procedure laid down in the Recognition of Forest Rights Act 2006, in the village Chhirhatta to be Relocation of villagee From core area of Achanakmar Tiger Reserve, and the rights of the entire area have been established. Forest land 251.315 Hactares and revenue land is Nill.

The number of holders of Forest Rights Recognition Card granted in the proposed village Chhirhatta for displacement are as follows:-

No.	Name of Village	Forest Rights Recognition Card holders No.	Area (Hac.)
1	2	3	4
1	Chhirhatta	14	11.262


 Ajeet Vasant
 (I.A.S.)
 District Collector
 Mungeli (C.G.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक / 140 / रीडर/2022/
प्रति,

लोरमी, दिनांक 01.02.2022

कलेक्टर महादेय,
(भू-अभिलेख शाखा)
जिला मुंगेली(छ.ग.)

विषय :- अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापित किये जाने वाले 03 ग्रामों में वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत ।


संदर्भ :- आपका पत्र क्र./2011/भू-अभि./अ.भू.अ./2022 मुंगेली दिनांक 01.02.2022 ।

००००

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से 03ग्रामों (तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा) में वितरित वन अधिकार पत्र संबंधी प्रमाण पत्र पृथक-पृथक ग्रामवार चाही गई है जो निम्नानुसार है -

क्र	ग्राम का नाम	वितरित पट्टाधारी की संख्या	रकबा (हेक्टे.में)
1	2	3	4
1	तिलईडबरा	36	6.550
2	बिरारपानी	34	42.21
3	छिरहट्टा	14	11.262

उक्त जानकारी आपकी ओर सादर सम्प्रेषित ।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
लोरमी जिला मुंगेली(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) मुंगेली (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक/452/भू-अभि./अ0भू0अ0/2020
प्रति,

मुंगेली, दिनांक 04.07.2020

उप-संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी जिला-मुंगेली (छ.ग.)

विषय:- अचानकमार टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित 03 ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:- आपका ज्ञा0 क0/व.प्रा./स्टेनो/1891/2020 लोरमी दिनांक 29.07.2020।

—00—

संदर्भित विषयांतर्गत, लेख है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, विरारपानी, छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु मुंगेली वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भरतपुर एवं सावतपुर में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण नहीं होने संबंधी संशोधित पृथक-पृथक ग्रामवार प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र 1+1

कलेक्टर,
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

FORM-II
(For Project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Officer of the Collector Mungeli

No..

Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forest (MoEF) Government of India letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted in for non- forest purpose, it is certified that 'Compartment no. 557 RF Area 145.282 Hactares & Compartment No. 558 RF Area 149.375 Hactares, Those Compartment Out of Area Continue 9.411 Hactares & 119.386 Hactares Total Area 128.800 Hactares forest land proposed to be diverted in favour of **Relocation of villages From Core Area of Achankamar Tiger Reserve to Mungeli Division in Mungeli District** falls within jurisdiction of Bharatpur Forest land in Lormi tehsils:

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 128.800 Hectares of forest land proposed for diversion, A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), sub-Division level committee (s) and the District level Committee are enclosed.
- (b) The proposal for such Diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha Forest-dwellers, Who are eligible under the FRA,
- (c) Each concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/ Processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate Issued by the Gram sabha of Bharatpur village is enclosed.
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present ;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and gram sabhas have given their consent to it;

The rights of primitive tribal groups and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

(P.S.ALMA)
District Collector
Mungeli (C.G.)

FORM-II
(For Project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Officer of the Collector Mungeli

No..


Dated

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forest (MoEF) Government of India letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted in for non- forest purpose, it is certified that 'Compartment No. 96 RF Area 234.718 Hactares, Out of an Area 126.500 Hactares forest land proposed to be diverted in favour of **Relocation of villages From Core Area of Achankamar Tiger Reserve to Mungeli Division** in Mungeli District' falls within jurisdiction of Sawatpur Forest land in Lormi tehsils:

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 126.500 Hectares of forest land proposed for diversion, A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), sub-Division level committee (s) and the District level Committee are enclosed.
- (b) The proposal for such Diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha Forest-dwellers, Who are eligible under the FRA,
- (c) Each concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/ Processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate Issued by the Gram sabha of Bhartpur village is enclosed.
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present ;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and gram sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of primitive tribal groups and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.


(P.S. ALMA)
District Collector
Mungeli (C.G.)



कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in

अनुलग्नक-02

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – A. (v)

The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)



कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in



अनुलग्नक—03

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (i)

Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the state in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 and Ministry's Guidelines dated 20.05.2019.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)




कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in

अनुलग्नक-04

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (ii)

State Government shall take effective steps to ensure that the villagers who are being relocated from the core area, do not return to the area.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)



कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in

अनुलग्नक—05

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (iii)

No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)



कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in



अनुलग्नक—06

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013-FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (iv)

The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)




कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in



अनुलग्नक-07

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (v)

The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986, if required.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)




कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in

अनुलग्नक—08

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (vi)

The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)



कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in



अनुलग्नक-09

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (vii)

The forest land proposed to be diverted may be transferred by the State Government to villagers being rehabilitated.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)




कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in

अनुलग्नक—10

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (viii)

No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)



कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in



अनुलग्नक—11

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013-FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (ix)

The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)




कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in

अनुलग्नक-12

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (x)

Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wild life.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)



कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in



अनुलग्नक—13

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (xi)

The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project, and

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)




कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in



अनुलग्नक—14

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013-FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – B. (xii)

Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)




कार्यालय— उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email: clfo.mungeli-cg@gov.in



अनुलग्नक—01

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013- FC (pt.) दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रदायित (stage-I Approval) प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक – A. (iii)

State Government shall ensure that the area under the three villages that are proposed to be shifted outside the Achanakmar Tiger Reserve (ATR) will become inviolate after the shifting and not a single family, person or household is left within any of these villages for further relocation.

अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छत्तीसगढ़) उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)




कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन एवं क्षेत्रीय निदेशक

अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर (छ0ग0)

www.tigersofachanakmar.org, Email: fielddir_atr@rediffmail.com, Ph No. 07752-296104

क्रमांक/व.प्रा./व्यय/2021-22/2932

बिलासपुर/दिनांक...02/11/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(वन्य प्राणी)

अरण्य भवन, सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक,

अटल नगर नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :- अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी का संशोधित व्यवस्थापन प्रस्ताव प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ :- उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व का पत्र क्र./2061 दि. 10.06.2021

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत तीन वनग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के कुल 133 परिवारों के विस्थापन हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव NTCA की गाईडलाईन के अनुसार राशि रु. 10.00 लाख प्रति परिवार की दर से तैयार कर प्रेषित किया गया था।

संदर्भित पत्र द्वारा उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व द्वारा NTCA की NEW गाईडलाईन के अनुसार राशि रु. 15.00 लाख प्रति परिवार की दर से तीन ग्राम के 133 परिवार हेतु राशि रु. 1995.00 लाख एवं Convergence राशि रु. 1023.10 लाख, कुल राशि रु. 3018.10 लाख का प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। (प्रस्ताव संलग्न है।)

अतः उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी द्वारा प्रेषित व्यवस्थापन प्रस्ताव मूलतः अनुशंसा सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है। कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्थापन कार्य के लिए बजट आबंटन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


उप निदेशक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/व.प्रा./व्यय/2021/2933

प्रतिलिपि :-

उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व
बिलासपुर (छ0ग0)
बिलासपुर/दि. 02/11/2021



मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व
बिलासपुर (छ0ग0)



कार्यालय, उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व,

लोरमी—जिला मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email:ddatr_bsp@rediffmail.com,

क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/2061

/लोरमी/दिनांक 10/06/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक
अचानकमान टाईगर रिजर्व, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय— अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का संशोधित व्यवस्थापन प्रस्ताव।

संदर्भ— 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/K- 317 दिनांक 10.08.2017
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक NTCA F.No. 15-3/2008-NTCA (Vol.III) Pt., New Delhi, Dated 08th April 2021

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/K- 317 दिनांक 10.08.2017 द्वारा आपकी ओर प्रेषित की गई है, जिसे आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्टेनो/2997 दिनांक 10.08.2017 द्वारा अनुशंसा कर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रेषित की गई है।

उक्त व्यवस्थापन प्रस्ताव NTCA की गाईडलाईन 10.00 लाख प्रति परिवार की दर से तैयार कर 133 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु राशि 1330.00 लाख का प्रस्ताव प्रेषित की गई थी। चूंकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक NTCA F.No. 15-3/2008-NTCA (Vol.III), Pt. New Delhi, Dated 08th April 2021 द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार ग्राम व्यवस्थापन हेतु 15.00 लाख प्रति परिवार दर निर्धारित की गई है, जिससे व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु निम्नानुसार राशि प्रस्तावित की जा रही है—

1. ग्राम तिलईडबरा के 77 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित राशि—

विकल्प— 1 के तहत प्रस्तावित परिवार संख्या— 22 प्रस्तावित राशि— 330.00 लाख

विकल्प— 2 के तहत प्रस्तावित परिवार संख्या— 55 प्रस्तावित राशि— 825.00 लाख

योग परिवार— 77 प्रस्तावित राशि— 1155.00 लाख

2. ग्राम बिरारपानी, छिरहट्टा के 56 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित राशि—

विकल्प— 1 के तहत प्रस्तावित परिवार संख्या— 00 प्रस्तावित राशि— 000.00 लाख

विकल्प— 2 के तहत प्रस्तावित परिवार संख्या— 56 प्रस्तावित राशि— 840.00 लाख

योग परिवार— 56 प्रस्तावित राशि— 840.00 लाख

NTCA की गार्डलाईन अनुसार विकल्प—1 के तहत प्रत्येक हितग्राही को 15.00 लाख देने का प्रावधान है, तथा विकल्प—2 के तहत प्रत्येक हितग्राही को प्रावधानित राशि 15.00 लाख प्रत्येक परिवार में ग्राम विकास कार्य जैसे— आवासीय मकान, कृषि योग्य भूमि, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पहुँच मार्ग, सिंचाई व्यवस्था, स्कूल, आंगनबाड़ी इत्यादि अधोसंरचना मूलभूत कार्य किया जाना प्रावधानित किया गया है।

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का NTCA एवं Convergence से प्राप्त राशि से व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित की गई है। उक्त ग्रामों के विकल्प— 2 का चयन करने वाले 111 हितग्राहियों (तिलईडबरा — 55 परिवार तथा बिरारपानी, छिरहट्टा— 56 परिवार) हेतु कराये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव संलग्न है। व्यवस्थापन हेतु ग्रामवार आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	ग्राम का नाम	कुल परिवार संख्या	विकल्प		मद वार प्रस्तावित राशि (लाख)		योग (लाख)
			I	II	NTCA	Convergence	
1.	तिलईडबरा	77	22	55	1155.00	508.00	1663.00
2.	बिरारपानी छिरहट्टा	56	-	56	840.00	515.10	1355.10
	योग—	133	22	111	1995.00	1023.10	3018.10

कृपया उपरोक्तानुसार राशि स्वीकृत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कष्ट करें।

उपसंचालक

अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली

पृ०क्रमांक/व०प्रा०/स्टेनो/2021/2062

/लोरमी/दिनांक —10.06.2021

प्रतिलिपि—1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की

ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

उप संचालक

अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला—मुंगेली

RELOCATION PLAN AND ESTIMATE OF VILLAGE TILAI DABARA

1. INTRODUCTION:-

ACHANAKMAR TIGER RESERVE:

Achanakmar Tiger Reserve is one of the best wild life reserves of central India. It is situated in the eastern part of Maikal hills of Satpuda ranges and north west of Mungeli District of Chhattisgarh. Sal, Bamboo and high quality of mixed forest is the beauty of this reserve. Its biodiversity in flora and fauna makes it as part of 14th Biosphere reserve of India. A part from tiger this reserve is known for presence of Mouse Deer (Indian Chevrotain) in central India. Achanakmar experience leaves a multitude of superlative in the mind. The breathtaking setting, rolling slopes clad with the stately Sal amidst and plateaus interspersed with mixed forests afford an eyeful to the observer. The habitat presents a cross section of the typical Central Indian wild animals roaming in gay abandon.

Area of the Tiger Reserve is also a part of Achanakmar-Amarkantak Biosphere reserve. Director Biosphere Reserve is also one of the free managers of the area. Total Area of the reserve is 914.017 sq.kms. The core zone area is 626.195 sq.kms. and that of the buffer zone is 287.822 sq.kms.

1.1 Name, Location, Constitution and Extent:

1.1.1 Name:

Achanakmar Tiger Reserve is named on one prominent village namely Achanakmar which is situated only on the entrance of Tiger Reserve.

1.1.2 Location:

Achanakmar Tiger Reserve is situated in the Mungeli district of Chhattisgarh state. The tiger reserve is situated at the following geographical co-ordinates.

Longitude	81 ⁰ 31'03.39'' E to 81 ⁰ 57'13.18'' E
Latitude	22 ⁰ 17' 42.19'' N to 22 ⁰ 38' 34.17''N

1.1.3 Constitution:

Core area of Achanakmar Tiger Reserve comprises of Achanakmar Wild Life Sanctuary.

1.1.4 Extent (Area Statement and Legal Status):

Area of Achanakmar is 914.017 sq.kms. the details are as following:

S.No.	Status	Area in sq.kms.
1.	Core Zone	626.195
2.	Buffer Zone	287.822
	Total-	914.017

1.1.5 Notification:

Achanakmar Tiger Reserve is notified vide the Govt. of C.G. Forest Department notification No. F8-43/2007/10-2, Raipur, dated 20 Feb. 2009 under wild life (protection) act 1973 section 38v.

1.1.6 Approach & Access :

Achanakmar Tiger Reserve is approachable by Train and road from Pendra Road, Kargi Road, Lormi and Bilaspur. The road distances from above stations are as below:

Stations	Major route	Entry point	Distance (in km)
Bilaspur	Bilaspur-Amarkantak Road	Achanakmar	56
Kargi Road	Bilaspur-Amarkantak Road	Achanakmar	25
Pendra Road	Manendragarh-Bilaspur Road	Lamni	35
Lormi Road	Lormi-Surhi Road	Surhi	20

Tourists from and to Amarkantak, Bandhavgarh, follow this route to visit Achanakmar. The nearest Airport is at Raipur. Forest Resort (Baiga Resort), Aamadob Resort are available at Shivtarai & Aamadob villages near Achanakmar Tiger Reserve.


The nearest medical facility is available at Kota, Pendra Road, Lormi, Telephone facility is not available in the Tiger Reserve even cell phone can not communicate except few place near Achanakmar and Lamni.

1.1.7 Introduction of Village to be Relocated:

Indiscriminate destruction of forest and wild life habitat, shrinkage in the forest and over hunting of wild animals in the past decades have posed threat of extinction, a lot of flora and faunas. Achanakmar Tiger Reserve has got immense varieties of flora and fauna. There are 19 villages inside the Tiger Reserve, which creates a lot of biotic pressure and man-made disasters for the wild animals of the

Tiger Reserve. To ensure the habitat development of Achanakmar Tiger Reserve particularly to create meadows as well as to eliminate the biotic pressure in the core area of Tiger Reserve. Hence to relocation of **Tilaidabara Village** is an essential step to achieve the desired target. The relocated village will be provided with the necessary financial and social benefits in addition to infrastructure facilities.

The **Tilaidabara Village** is situated in the Achanakmar Tiger Reserve Chhaparwa Range, Tilaidabara Beat and compartment No. 365/366 area of 457.51 hac. in the Lormi Dist. Mungeli, Chhattisgrh. The village will be relocated to Lormi Range of Mungeli Forest Division of Mungeli District in Compt. No. RF 96 (Sawantpur) having an area of 234.718 ha. The Govt. of India, Ministry of Environment, forest and Climate Change (FC division) vide its letter F.No. 8-93/2013-FC dated 18.03.2015 and vide letter No. 8-93/2013- FC dated 17.04.2015 has granted diversion of forest land for relocation of Tilaidabara, Rajak, Sarasdol, Birarpani, Chhirhatta, in Achanakmar Tiger Reserve. (Annexure-1. Attached MoEF letter)



The New site for relocation of village Tilaidabara is near Lormi in Mungeli district. The area for relocation is chosen by villagers of Tilaidabara in Comportment No. RF 96. Sawantpur village is about 35 km. away from Tilaidabara village in the Chhaparwa range of Achanakmar Tiger Reserve. Selected site is 5 km. away from Sawantpur, which is connected with WBM road. Sawantpur is connected by RCC Road Domanpur on the all weather PWD road of Bilaspur-Lormi.

The option of package number I and II for relocation which adequately covers the “**National Rehabilitation and Resettlement Policy 2007**” were detailed to villagers. Options selected by villagers as below:-

As per Guideline NTCA -Relocation Option – I

- ❖ Rs. 15.00 Lakh per Family.
- ❖ Monitoring process involving the District Magistrate of concerned.
- ❖ Depositing a considerable portion of the amount in the name of the beneficiary in a nationalized bank for obtaining income through interest generated.

Option I- Carrying Out Relocation of **22 families** of Tilaidabara village from Achanakmar Tiger Reserve.

For Relocation of 22 Families - Amount Needed in Option – I = 330.00 Lac.

As per Guideline NTCA - Relocation Option – II

In case option-II, the following package (Per family) is proposed, at the rate of Rs. 15 lakhs per family.

(a)	Agriculture land procurement (2 hectare) and development		35% of the total package
(b)	Settlement of rights		30% of the total package

(c)	Homestead land and house construction	20% of the total package
(d)	Incentive	5% of the total package
(e)	Community facilities commuted by the family (across road, irrigation drinking water, sanitation, telecommunication, electricity, community center, religious place of worship, burial/cremation ground)	10% of the total package

Option II- Carrying Out Relocation of **55 families** of Tilaidabara village from Achanakmar Tiger Reserve.

For Relocation of 55 Families - Amount Needed in Option – II = 825.00 Lac.

At Tilaidabara village **77 Families** are forest right holders & 01 Family in non forest right holders as per forest act (2006).

As per Guideline NTCA -For Relocation of 77 Families - Amount Needed in

Option – I = 330.00 Lac.

Option – II = 825.00 Lac.

Total - = 1155.00 Lac.

1.2 Name of Village -

(a)	Name of Tiger Reserve	Achanakmar Tiger Reserve
	Name of Range	Chhaparwa
(b)	Name of Village	Tilaidabara
	Name of Beat	Tilaidabara
	Compartment No.	365/366
(c)	Total Area of above Compartment	267.503 / 299.474 = 566.977 Hac.
	Affected area by Villager	457.51 Ha.

	Total Area of Village to be Rehabilitated	457.51 Ha.
	Cultivation Field	4.219 Ha.
	House and Badi	50.701 Ha.
	Community Uses	100.806 Ha.
	Allotted to Grazzing	267.503
	Road and Canal	34.281 Ha.
	Total:-	457.51 Ha.

1.3 Total Area of Village -

As Above

1.4 Legal Status -

- (i) Tilaidabara village present in RF. 365/366 of Tilaidabara Beat, Chhaparwa Range.
- (ii) The Selected site for relocation is in the Comp. No. 96 Reserve Forests of the Lormi Range of Mungeli Division.

1.5 Summary -

(i) Number of Families (Category Wise)

S.N.	Description	No. of Family		
		Forest Right Holders	Non Forest Right Holders	Total
I	Category Wise Families -			
	S.T. Families	72	-	72
	S.C. Families	-	-	-
	O.B.C. Families	04	01	05
	General Families	01	-	01
	TOTAL (Families)	77	01	78

(ii) Total Human Population:-

S.T. Population	192	
S.C. Population	-	
O.B.C. Population	11	
General Population	05	
Total-	208	

(iii) Total Live Stock Population:-

Forest Right Holders = 235


Non Forest Right Holders = 00

Total - = 235

(iv) Proposed site for Relocation :-


The proposed site for relocation of village Tilaidabara is near Lormi in Mungeli district. The area for relocation is chosen by villagers of Tilaidabara in Compartment No. RF 96 the Sawantpur village is about 35 km. away from Tilaidabara village in the Chhapparwa range of Achanakmar Tiger Reserve. Selected site is 5 km. away from Sawantpur, which is connected with WBM road. Sawantpur is connected by RCC Road at Domanpur on the all weather PWD road of Bilaspur-Lormi. Lormi Bilaspur Road by 9 K.m. away from vill udaypur Distt. Bilaspur. (C.G.). Proposed site R.F. No. 96 is 4 K.M. away from Udaypur.

The name of gram panchayat to include the proposed site under the nearest gram panchayat is Domanpur. Water available all over the year in the nearest sawantpur reservoir. Proposed site's revenue border is within the bilaspur district. PDS Shop and Sub health centre is available in domanpur. Nearest Bank Branch is situated in lormi which is about 9 K.M. from proposed site and below listed banks are available in lormi – State bank of india, Punjab National Bank, Co-operative Bank, Chhattisgarh Gramin Bank. Post Office is available in vill Bandha. The Nearest land mark of mungeli district is Pendri pond which is 3 K.M. away from lormi at Lormi-Bilaspur main road.



(v) Area of the Proposed site and its legal status :-

The new site is situated in Compt. No. 96 of Lormi Range of Mungeli Division. The site is reserve forest. The area for rehabilitation is measuring about 126.50 ha. The total area of above Compartment is 234.718 ha. As follow :-



Details of Proposed site for relocation

Division	Mungeli
Range	Lormi
Beat	Sawantpur
Compartment No.	96
Area of Compartment	234.718 ha.
Forest Block	Sawantpur(Jogipur)
Proposed Area for Relocation	126.50 ha

(vi) Total allocation required

Option –I Total Allocation Required for 22 Families - **330.00 Lac**

Option –II Total Allocation Required for 55 Families - **825.00 Lac**

Option-II allocation details are given as per NTCA Para 4.2.2 Rate of Rs. 15.00 lacs per Family as following :-

S.No.	Work	Package
a.	Agriculture Land Procurement (2 Hac.) and Development	35% of the total package
b.	Settlement of rights	30% of the total package
c.	Home Stead Land and House Construction	20% of the total package
d.	Incentive	5% of the total package
e.	Community Facilities commuted by the family (access road, irrigation, drinking water facility, sanitation, electricity, telecommunication, community centre, religious places of worship, Burial/cremation ground.	10% of the total package

As per NTCA Guideline Proposed Amount:-

S.No.	Work	Rate	Amount
1.	Agriculture Land Development (35% of the total package)	1.00 Lac/Hac.	288.75 Lac
2.	Home Stead Land and House Construction (20% of the total package)	3.40 Lac/ Family	165.00 Lac
3.	Incentive	0.75	41.25 Lac

	(5% of the total package)	Lac/Family	
4.	Settlement of rights (Community Facility) commuted by the family (access road, irrigation, drinking water facility, sanitation, electricity, telecommunication community centre, religious and worship places, cremation and burial site. (40% of the total package)	2.73 Lac/Family	330.00 Lac.
		Total-	825.00Lac.

2. Master List of Families Identified :-

2.1 Forest Right Holders-

क्र.	पट्टेधारी का नाम	आश्रित का नाम	संबंध	जाति	उम्र	विकल्प I/II
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री चैतु / स्व. चोटी		मुखिया	बैगा	68	I
		श्रीमती चरकी बाई	पत्नी	बैगा	60	
2	श्री ईतवारी / चैतु		मुखिया	बैगा	43	II
3	श्री अंजोर सिंह / ईतवारी		मुखिया	बैगा	24	I
		श्रीमती सोनवती	पत्नी	बैगा	20	
4	श्री सुखन / चैतु		मुखिया	बैगा	40	I
		श्रीमती धानबाई	पत्नी	बैगा	38	
		श्री रविकुमार	पुत्र	बैगा	17	
		" शिवकुमार	पुत्र	बैगा	15	
		" राजकुमार	पुत्र	बैगा	12	
5	श्री बड़े लमतु / बुटानु		मुखिया	बैगा	50	II
		श्रीमती जमनी	पत्नी	बैगा	45	
6	श्री शिवा / भुण्डा		मुखिया	बैगा	65	II
7	श्री दत्तु / शिवा		मुखिया	बैगा	44	I
		श्रीमति शांतिबाई	पत्नी	बैगा	39	
8	श्री सन्तु / शिवा		मुखिया	बैगा	32	I
		श्रीमति संतोषी	पत्नी	बैगा	31	
9	श्री मंहगु / बड़े डोगरू		मुखिया	बैगा	55	II

		श्रीमती तितरी बाई	पत्नी	बैगा	52	
		श्रीमती जानकुवर	पत्नी	बैगा	35	
10	श्री दीपसिंह / महंगु		मुखिया	बैगा	33	II
		श्रीमती ललीता बाई	पत्नी	बैगा	26	
		श्री राकेश कुमार	पुत्र	बैगा	12	
		श्री वीकेश	पुत्र	बैगा	11	
11	श्री छोटे लमतु / बडेडोगरु		मुखिया	बैगा	50	II
		श्रीमती चन्द्रकली	पत्नी	बैगा	45	
12	श्री भीमसिंह / छोटे लमतु		मुखिया	बैगा	28	I
		श्रीमती राजकुमारी	पत्नी	बैगा	25	
13	श्री जेटू राम / नग्गू		मुखिया	बैगा	67	II
		श्रीमती उरबसिया	पत्नी	बैगा	65	
14	श्री मन्नु / जेटूराम		मुखिया	बैगा	47	II
		श्रीमती सुनीबाई	पत्नी	बैगा	43	
15	श्री प्रभुदास / मन्नु		मुखिया	बैगा	30	II
		श्रीमती सरस्वती	पत्नी	बैगा	28	
		श्री कलमसिंह	पुत्र	बैगा	5	
		श्री दुर्गेश कुमार	पुत्र	बैगा	3	
16	श्री विदेशी / मन्नु		मुखिया	बैगा	27	II
		श्रीमती देवकी बाई	पत्नी	बैगा	25	
		कुं. प्रिया कुमारी	पुत्री	बैगा	3	
		प्रियांशु	पुत्र	बैगा	11 m	
17	श्री देशी मन्नु		मुखिया	बैगा	20	I
18	श्री सेमलाल / बैसाखू		मुखिया	बैगा	26	II
		श्रीमती लीलाबाई	पत्नी	बैगा	25	
		कुं. संगीता बाई	पुत्री	बैगा	9	
		कु. गीतु	पुत्री	बैगा	4	
19	श्रीमती जानकुवर / दशरू		मुखिया	बैगा	45	II
20	श्री महेश / जगदम्बा		मुखिया	बैगा	30	II
21	श्रीमति सुकवरिया बेवा / स्व. मतवार		मुखिया	बैगा	50	II
22	श्री राजकुमार / स्व. मतवार		मुखिया	बैगा	21	II
23	श्री नवलू / धनसिंह		मुखिया	बैगा	45	II
		श्रीमती बैसाखिया	पत्नी	बैगा	43	
24	श्री प्रभुराम / नवलू		मुखिया	बैगा	28	II
		श्रीमती कौशिल्या	पत्नी	बैगा	25	
		कुं. नेहा	पुत्री	बैगा	4	

		" निशा	पुत्री	बैगा	3	
		श्री कमलसिंह	पुत्र	बैगा	17	
25	श्री सरहू / छोटेडोगरू		मुखिया	बैगा	55	II
		श्रीमती रामबाई	पत्नी	बैगा	50	
26	श्री अर्जुन सिंह / सरहू		मुखिया	बैगा	29	I
		श्रीमति राजकुमारी	पत्नी	बैगा	25	
27	कुं. ललीता बाई / सरहू		पुत्री	बैगा	19	II
28	श्री नेतराम / सरहू		मुखिया	बैगा	27	II
		श्रीमती रानीबाई	पत्नी	बैगा	25	
		राजेन्द्र	पुत्र	बैगा	1.5	
29	श्री मानसिंह / ईतवारी		मुखिया	बैगा	46	II
		श्रीमती बुधरी	पत्नी	बैगा	44	
30	श्री मुक्ता / मानसिंह		मुखिया	बैगा	28	II
		श्रीमती जेठिया बाई	पत्नी	बैगा	25	
		कु. पूजा	पुत्री	बैगा	4	
31	श्री मुकेश / मानसिंह		मुखिया	बैगा	22	I
		श्रीमति आरती	पत्नी	बैगा	21	
		कु0 रोशनी	पुत्री	बैगा	3	
		कु0 सविता	पुत्री	बैगा	1	
		मनीष	पुत्र	बैगा	3 M	
32	श्री विष्णु / सुनाराम		मुखिया	बैगा	50	I
		श्रीमती समारीबाई	पत्नी	बैगा	48	
33	श्री छोदू / चिमटिहा		मुखिया	बैगा	40	II
		श्रीमती बुधिया बाई	पत्नी	बैगा	36	
34	श्री रामदास / जटी		मुखिया	बैगा	38	II
		कुं. अनारकली	पुत्री	बैगा	16	
		कुं. प्रेमवती	पुत्री	बैगा	12	
		श्री नेहरसिंह	पुत्र	बैगा	8	
35	श्री अनंत कुमार / रामदास		पुत्र	बैगा	20	II
		श्रीमति मुन्नीबाई	पत्नी	बैगा	19	
		मुस्कान	पुत्र	बैगा	5 M	
36	श्री अशोक / शिवा		मुखिया	बैगा	40	II
		श्रीमती बुधरी बाई	पत्नी	बैगा	38	
		श्री धरमसिंह	पुत्र	बैगा	16	
		श्री कलमसिंह	पुत्र	बैगा	12	
		कुं. प्रेमवती	पुत्री	बैगा	10	
		श्री प्रेमसिंह	पुत्र	बैगा	8	

		श्री चैनसिंह	पुत्र	बैगा	1	
37	श्री दवलू / धनसिंह		मुखिया	बैगा	46	II
		श्रीमती शांतिबाई	पत्नी	बैगा	45	
38	श्री सेवाराम / दवलू		मुखिया	बैगा	20	II
		श्रीमति सुसीला	पत्नी	बैगा	18	
		श्री मेवाराम	पुत्र	बैगा	17	
39	श्री गंगाराम / सुना		मुखिया	बैगा	40	II
40	श्री कोमल / गंगाराम		मुखिया	बैगा	20	II
		श्रीमती राजकुमारी	पत्नी	बैगा	18	
41	श्रीमती फुलकुवर बेवा / स्व. शिवचरण		मुखिया	बैगा	55	II
42	श्री जयसिंह / स्व. शिवचरण		मुखिया	बैगा	35	II
		श्रीमती सुखिया बाई	पत्नी	बैगा	32	
		श्री ईश्वरी सिंह	पुत्र	बैगा	12	
43	श्री अंधियार / चिमटिहा		मुखिया	बैगा	60	I
		श्रीमती सुखरी बाई	पत्नी	बैगा	57	
44	श्री कृष्णा कुमार / अधियार		मुखिया	बैगा	30	II
		श्रीमती रानू बाई	पत्नी	बैगा	28	
		श्री सागर	पुत्र	बैगा	9	
		श्री शेखर	पुत्र	बैगा	2	
45	श्री संतराम / अधियार		मुखिया	बैगा	25	II
		श्रीमती संतोषी	पत्नी	बैगा	23	
		श्री नमद	पुत्र	बैगा	4	
		श्री दीपेश	पुत्र	बैगा	2	
46	श्रीमति जैठियाबाई बेवा / स्व. झिगरू		मुखिया	बैगा	70	I
47	श्री जुगति / स्व. झिगरू		मुखिया	बैगा	47	II
		श्रीमती रमलीबाई	पत्नी	बैगा	44	
48	श्री बोधी / जुगती		मुखिया	बैगा	28	II
		श्रीमती राजकुमारी	पत्नी	बैगा	26	
		श्री अमित	पुत्र	बैगा	8	
		कुं. अमीषा	पुत्री	बैगा	6	
		कुं. अनीता	पुत्री	बैगा	4	
		श्री सुखराम	पुत्र	बैगा	16	
		कामनी बाई		बैगा		
49	श्री अधारी / चिमटिहा		मुखिया	बैगा	50	II
		श्रीमती नानबाई	पत्नी	बैगा	45	

50	श्री चैनसिंह / रिधु		मुखिया	बैगा	30	II
		श्रीमती अर्चना	पत्नी	बैगा	27	
		कुं. सावित्री	पुत्री	बैगा	7	
		कुं. गायत्री	पुत्री	बैगा	3	
		अमन सिंह	पुत्र	बैगा	5M	
51	श्री गंगाराम / अघन		मुखिया	बैगा	36	II
		श्रीमती बुधरी बाई	पत्नी	बैगा	33	
		श्री राजकुमार	पुत्र	बैगा	12	
		कुं. राजकुमारी	पुत्री	बैगा	10	
		कुं. रामकुमारी	पुत्री	बैगा	7	
52	श्री बड़े भोला / चंदू		मुखिया	बैगा	30	II
		श्रीमती कुवरिया बाई	पत्नी	बैगा	28	
		श्री उमाशंकर	पुत्र	बैगा	10	
		श्री विजयशंकर	पुत्र	बैगा	7	
53	श्रीमति पार्वती / शिवरतन		मुखिया	बैगा	55	II
54	श्री बबलू / शिवरतन		मुखिया	बैगा	37	II
		श्रीमती रामकली	पत्नी	बैगा	35	
		कुं. दुर्गेश्वरी	पुत्री	बैगा	17	
		कुं. फुलेश्वरी	पुत्री	बैगा	14	
		कुं. दिलेश्वरी	पुत्री	बैगा	4	
55	श्री भदलू / बलीराम		मुखिया	बैगा	50	II
		श्रीमती भदली बाई	पत्नी	बैगा	48	
56	श्री फूलसिंह / धन्नू		मुखिया	बैगा	45	II
		श्रीमती राजकुमारी	पत्नी	बैगा	40	
57	श्री बीर सिंह / फूलसिंह		मुखिया	बैगा	25	II
		श्रीमती कुंवरिया बाई	पत्नी	बैगा	20	
		श्री शिवकुमार	पुत्र	बैगा	17	
58	श्री कुंजीराम / मंगलसिंह		मुखिया	बैगा	50	II
		श्रीमती शिवकुमारी	पत्नी	बैगा	46	
59	श्री छोटेभोला / कंजीराम		मुखिया	बैगा	27	II
		श्रीमति	पत्नी	बैगा	25	
		श्री केश कुमार	पुत्र	बैगा	9	
		श्री सतीश	पुत्र	बैगा	7	
60	श्री धनसिंह / पतिराम		मुखिया	बैगा	68	II
		श्रीमती मंगलीबाई	पत्नी	बैगा	65	
61	श्री दुकाल / धनसिंह		मुखिया	बैगा	40	II
		श्रीमति लीलाबाई	पत्नी	बैगा	34	

		कु० संगीता	पुत्री	बैगा	10	
		संगीतकुमार	पुत्र	बैगा	7	
		मनीष	पुत्र	बैगा	4	
62	श्री सुकाल / धनसिंह		मुखिया	बैगा	35	II
63	श्रीमति धानबाई / पंचराम		मुखिया	बैगा	62	II
64	श्री अजय / पंचराम		मुखिया	बैगा	33	II
		" शांतिबाई	पत्नी	बैगा	31	
		" महेश	पुत्र	बैगा	13	
		" रमेश	पुत्र	बैगा	8	
		" दिनेश	पुत्र	बैगा	7	
65	" शिवप्रसाद / विसम्भर		मुखिया	बैगा	40	II
		" लालतीबाई	पत्नी	बैगा	38	
		" लालसिंह	पुत्र	बैगा	17	
		" छोटी	पुत्री	बैगा	14	
66	" दीपक / शिवप्रसाद		पुत्र	बैगा	22	I
		श्रीमति फुलबाई	पुत्र वधु	बैगा	20	
67	'श्री विशम्भर / भुरवा		मुखिया	बैगा	68	I
		" रामबाई	पत्नी	बैगा	66	
68	" भादू / बिरझू		मुखिया	बैगा	57	I
		श्रीमति कुवरिया	पत्नी	बैगा	54	
69	" चमरू / बिरझू		मुखिया	बैगा	52	I
		श्रीमति मैना	पत्नी	बैगा	50	
70	बेदराम / चमरू		पुत्र	बैगा	30	I
71	श्री दुकलू / बिरझू		मुखिया	बैगा	50	II
		श्रीमती पुसिया बाई	पत्नी	बैगा	46	
72	श्री कुवर सिंह / दुकलू		मुखिया	बैगा	30	II
		श्रीमती भूरी बाई	पत्नी	बैगा	26	
		श्री महेश कुमार	पुत्र	बैगा	7	
		श्री रमेश कुमार	पुत्र	बैगा	5	
73	" ज्ञान दास / दयादास		मुखिया	वैष्णव	57	I
		" तिजिया बाई	पत्नी	वैष्णव	50	
74	" छोटेलाल / सत्यनारायण		मुखिया	ठाकुर	42	I
		" मीना बाई	पत्नी	ठाकुर	36	
		" सजंना	पुत्री	ठाकुर	15	
		" सदीप	पुत्री	ठाकुर	13	
		" संजय	पुत्र	ठाकुर	10	
75	" बसंता / जरहु		मुखिया	साहू	56	I

76	" योगेन्द्र / रामरतन		मुखिया	साहू	32	I
		" रामकली	पत्नी	साहू	28	
		कुं. हेमा	पुत्री	साहू	7	
		कु. सीमा	पुत्री	साहू	5	
		कुं. ललिता	पुत्री	साहू	1	
		कु. शैल	पुत्री	साहू		
		गोपी किशन	पुत्र	साहू		
77	" चरण / सावन		मुखिया	साहू	60	I
						22/55

2.2 Non Forest Right Holder Families :-

ग्रामवार विस्थापन की जानकारी (वनग्राम – तिलईडबरा) गैर पट्टाधारी परिवार की सूची							
क्रं.	नाम	पिता का नाम	संबंध	जाति	उम्र	वोटर आई.डी.नं.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती रामबाई	श्री माधव	मुखिया	पटेल	61	MP15112072050	श्रीमती रामबाई द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया गया है।
							-

3. DETAILS OF SETTLEMENT OF RIGHTS :-

Under this work head the villagers will be compensated for their existing Well, Pond, Plantation and other structures. Like wise near by their new settlement area road side Plantation and habitat development work and meadow development work will be taken up.


1. Each Family will be provided with 2 hectare cultivable land.
2. Each Family will also be allotted land for house construction i.e. 2.5% of cultivable land.
3. In new site of village, Community center, School Building (Primary), Drinking water facility, Tube well, Hand pump, Electrification, and cultural programme site will be developed. The area will cover 10% of cultivable land.
4. After relocation family will be given an incentive of up to Rs. 75000 in cash for their settlement by depositing the money in Bank or Post Offices.
5. The above work will be performed by the forest department where a Forester/Forest Guard will be a secretary to look after.
6. For Road Construction 2.5% of the cultivable land will be kept.
7. Near to new site Grazing field, Fuel, Fodder, Fruit bearing plantation will also be raised.

4. DETAILS OF INCENTIVE TO BE PROVIDED :

After relocation of village at new site Rs. 75000 per family will be deposited on their near by Bank/Post Offices. The expenditure of transport of material of their old house will be included in the same amount.

5. IN CASE OF OPTION-II

(A)Description of relocation site, with a map showing layout of homestead



land and community facility

(B) & (C) Detail of propped work at relocation site; agricultural land (procurement/Development), transportation, construction, pasture/woodlot, road access , irrigation , drinking water facility, saniotation, electricity, community centre, places of worship, burial/cremation ground

Other Detail access to forest resources, irrigation, aanganbadi/school, hospital, fair price shop, telecommunication etc.

Distribution of the area of Relocation site:-

The area of new relocation site for 55 families of forest **village Tilaidabara** can be distributed as follows :-

1.	Cultivation Field (2 ha./Family)	110.00 Ha
2.	House and Badi 2.5% of Cultivation Field i.e. 0.05 hac./Family	2.75 Ha.
3.	Community Uses 10% of Cultivation Field i.e. 0.20 Hac./Family	11.00 Ha.
4	Road and Canal etc. 2.5% of Cultivation fields i.e. 0.05 hac./Family	2.75 ha.
	Total -	126.50 Ha.

Detail of Expenditure Statement :-

5.1 परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन –

5.1.1 परियोजना निर्माण :- एन.टी.सी.ए. के व्यवस्थापन गाईडलाईन अनुसार तथा कनवरजेंस के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों का ले-आऊट, प्लान तथा डी.पी.आर. इत्यादि तैयार करना। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.1.2 परियोजना क्रियान्वयन :- व्यवस्थापन परियोजना प्रतिवेदन में दिए प्रावधान अनुसार कार्यों का चयनित स्थल पर क्रियान्वयन करना। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.1.3 क्लोजर रिपोर्ट तैयार करना :- व्यवस्थापन कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम में समस्त संसाधन को संबंधित विभाग को हस्तांतरित करना। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.2 हितग्राहीमूलक कार्य :-

5.2.1 गृह निर्माण कार्य :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर प्रति परिवार रु. 650000/- की लागत से 01 आवासीय भवन निर्माण कर दिया जाना है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.2.2 कृषि भूमि विकास कार्य :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर प्रत्येक परिवार को 2.00 हे. कृषि भूमि विकसित कर प्रदाय किया जावेगा। प्रस्तावित कृषि भूमि वनक्षेत्र एवं जड़युक्त भूमि है, जिसे कृषि योग्य भूमि का विकास के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मद अंतर्गत रु. 1.00 लाख प्रति हे. के दर से प्रस्तावित की गई है। एन.टी.सी.ए. मद से प्राप्त राशि से रु. 50,000/- प्रति हे. की दर से जे.सी.बी. के माध्यम से कृषि योग्य भूमि में विकसित कराना प्रस्तावित किया गया गया। (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा एन.टी.सी.ए. मद)

5.2.3 सिंचाई हेतु डबरी निर्माण कार्य :- कृषि सिंचाई साधन के विकास के लिये कनवरजेंस के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को एक-एक डबरी निर्माण कराकर दिया जाना प्रस्तावित है। (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

5.2.4 सोलर पम्प तथा सिंचाई पम्प स्थापना हेतु अनुदान :- कृषि सिंचाई साधन का विकास हेतु हितग्राहियों के कृषि भूमि में निर्मित डबरी में सोलर पम्प की स्थापना कनवरजेंस के माध्यम से ऊर्जा विभाग के तहत क्रेडा से किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.2.5 जीविकोपार्जन विकास संबंधी कार्य:- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री

कौशल उन्नयन योजना तथा बैगा विकास प्राधिकरण इत्यादि योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं बैगा आदिवासी विकास प्राधिकरण)

5.2.5.1 उद्यानिकी विकास हेतु अनुदान :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के उद्यानिकी विकास कार्य करने हेतु ईच्छुक बेरोजगार युवकों को कनवरजेंस के माध्यम से उद्यानिकी का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (उद्यानिकी विभाग)

5.2.5.2 मछली पालन हेतु अनुदान :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के मछली पालन कार्य करने के ईच्छुक बेरोजगार युवकों को कनवरजेंस के माध्यम से मछली पालन कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (मत्स्य विभाग)

5.2.5.3 दूध/मुर्गी पालन हेतु अनुदान :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के दूध/मुर्गी पालन कार्य करने के ईच्छुक बेरोजगार युवकों को कनवरजेंस के माध्यम से दूध/मुर्गी पालन कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (पशुपालन विभाग)

5.2.5.4 लघु वनोपज आधारित विकास :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के लघु वनोपज संग्रहण कार्य करने के ईच्छुक बेरोजगार युवकों को कनवरजेंस के माध्यम से लघु वनोपज संग्रहण कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (लघु वनोपज संघ)

5.2.5.5 अन्य प्रशिक्षण :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के बेरोजगार युवकों को जो कि उपरोक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के साधन उपलब्ध करना चाहते हैं उन्हें कनवरजेंस के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (तकनीकी शिक्षा विभाग)

5.2.5.6 प्रारंभिक अनुदान राशि :- व्यवस्थापन के प्रारंभ में प्रत्येक हितग्राही के बैंक खाता में एन.टी.सी.ए. के दिशानिर्देश में दिए गए प्रावधान अनुरूप रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार रु)

इन्सैंटिव की राशि दी जावेगी, जिससे कि हितग्राहियों को नये स्थान पर विस्थापित होने पर किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3 सामुदायिक अधोसंरचना :-

5.3.1 पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प की स्थापना :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सहायता से हैण्डपम्प स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.2 नल जल योजना (टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की व्यवस्था) :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से बैगा आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत नलजल पानी टंकी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.3 स्टापडेम निर्माण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर कृषि भूमि को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु एन.टी.सी. ए. मद से स्टापडेम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.4 निस्तारी तालाब निर्माण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर निस्तारी कार्य हेतु कनवरजेंस के माध्यम से मनरेगा योजना अंतर्गत निस्तारी तालाब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

5.3.5 सड़क निर्माण कार्य – डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम में आवागमन का साधन सुदृढ़ करने हेतु डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण कराया जाना है, यह कार्य कनवरजेंस के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मद अंतर्गत डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.6 सी.सी. रोड निर्माण कार्य :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम में आवागमन का साधन सुदृढ़ करने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से पंचायत ग्रामीण विकास का मूलभूत राशि के तहत सी.सी. रोड निर्माण कार्य कराया जाना है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.7 रपटा पुलिया निर्माण कार्य :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर मार्ग में पड़ने वाले नालों पर आवागमन की सुलभता हेतु रपटा/पुलिया का निर्माण किया जाना है, यह कार्य एन.टी.सी.ए. मद से किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.8 विद्युतीकरण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से विद्युत विभाग के मंझराटोला योजना अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। **विद्युत विभाग मद)**

5.3.9 वृक्षारोपण/चारागाह विकास कार्य :-

5.3.9.1 पौधा रोपण कार्य — विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने के उपरांत आसपास वातावरण शुद्धता एवं हरियाली हेतु कनवरजेंस के माध्यम से हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत क्षेत्र में पौधा रोपण किया जाना प्रस्तावित है। **(वन विभाग)**

5.3.9.2 बांस रोपण कार्य :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने के उपरांत आसपास वातावरण शुद्धता एवं हरियाली हेतु कनवरजेंस के माध्यम से बम्बू मिशन योजना के तहत क्षेत्र में बांस रोपण किया जाना प्रस्तावित है। **(वन विभाग)**

5.3.9.3 चारागाह विकास कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह पर व्यवस्थापन होने पर पालतू मवेशियों को उन्नत चारागाह उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से पशु पालन विभाग की सहायता से नेपियर ग्रास लगाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। **(पशु पालन विभाग)**

5.4 सामुदायिक संपत्ति विकास —

5.4.1 मुक्तिधाम निर्माण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर सामाजिक कार्य के तहत मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। **(एन.टी.सी.ए. मद)**

5.4.2 प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर ग्रामीणों के छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक शाला भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.4.3 आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर ग्रामीणों के छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायता से आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.4.4 सामुदायिक भवन सह संशाधन केन्द्र — विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु बैगा आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत सामुदायिक भवन सह संशासन केन्द्र निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

उपरोक्त कार्य संबंधी लागत तथा विकास योजना संबंधी गोशवारा तालिका-1 में दर्शाये गया है, जिसमें कुल 55 परिवारों के विस्थापन हेतु प्रस्तावित कुल राशि विवरण दर्शाया गया है। तालिका-2 में प्रत्येक परिवार विस्थापन हेतु घटकवार किये जाने वाले व्यय संबंधी विवरण दिया गया है। संलग्न प्रपत्र-1 में ग्राम विस्थापन कार्य में प्रस्तावित कार्य, लागत तथा योजना संबंधी विवरण आदि दर्शाया गया है।

तालिका – 1 प्रस्तावित विस्थापन कार्य की गोशवारा
ग्राम – तिलईडबरा – 55 परिवार

क्र.	घटक	परिवार संख्या	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)		
				NTCA	Convergence	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	55	8.00	8.00	0.00	8.00
2	हितग्राहीमूलक कार्य	55	844.25	481.25	363.00	844.25
3	सामुदायिक अधोसंरचना विकास कार्य	55	480.80	335.80	145.00	480.80
	Total-	55	1333.05	825.00	508.00	1333.05

तालिका – 2 विकास कार्यवार व्यय प्रति परिवार – 55 परिवार

क्र.	घटक	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)		
				NTCA	Convergence	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	55	0.15	0.15	0.00	0.15
2	हितग्राहीमूलक कार्य	55	15.35	8.75	6.60	15.35
3	सामुदायिक अधोसंरचना विकास कार्य	55	8.74	6.11	2.64	8.74
	Total-	55	24.24	15.00	9.24	24.24

ग्राम विस्थापन कार्य के अंतर्गत एन.टी.सी.ए. से रु. 15.00 लाख प्रति परिवार एवं विभिन्न विकास योजनाओं कनवरजेंस से रु. 9.24 लाख कुल रु. 24.24 लाख प्रति परिवार राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

6. Details of livelihood support and handholding

- (i) All these area comes under forest area. Which means it is going to be worked under agriculture for the first time. This will be a great opportunity for making organic foods, from this area. This will give them a double profit compared to normal agriculture bared food production.
- (ii) By means of creating women SHG's in this village, they can generate following materials for marketing
 - (a) Mushroom cultivation.
 - (b) vermin- compost production
 - (c) Chicken Rearing.
- (iii) All the agricultural field will be covered under solar pump bared irrigation system, which will give round the year water for farming.

Along with this farmers can go for cash crops, which will give more profits to them.

- (iv) Each agricultural field will be provided with honey production-box under the technique of apiculture, which will give additional benefits to turn along with processing the agriculture system.
- (v) Families, which involved in making bamboo banned officers will be given training to improve their skills, and the products will be sold through forest department.

6. GRIEVANCES REDRESSAL SYSTEM :-

To meet the grievances of villages who are being relocated is a moral duty of forest department. Since the Achanakmar Tiger Reserve is working as a development agency the problems regarding the rehabilitation of the village will be taken care of in to.

8. State Level Monitoring and Evaluation:-

(a)	Chief Secretary of the state	-	Chairman
(b)	Secretaries of related department	-	Members
(c)	State Principle Chief Conservator of Forest	-	Member
(d)	Non-Official member of respective Tiger Conservation foundation	-	Members
(e)	Chief wildlife warden		Members-Secretary

9. Cost Table and Phasing:-

Option –I Total Allocation Required for 22 Families - **330.00 Lac**

Option –II Total Allocation Required for 55 Families - **825.00 Lac**

Total - 1155.00 Lac

विकल्प – 2 के तहत व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित कार्य – 55 परिवार

क्र.	घटक	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)		
				NTCA	Convergence	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	55	8.00	8.00	0.00	8.00
2	हितग्राहीमूलक कार्य	55	844.25	481.25	363.00	844.25
3	सामुदायिक अधोसंरचना विकास कार्य	55	480.80	335.80	145.00	480.80
	Total-	55	1333.05	825.00	508.00	1333.05

लागत प्रति परिवार - **24.24 15.00 9.24 24.24**

प्रति परिवार लागत – **15.00 लाख (एन.टी.सी.ए. मद)**

प्रति परिवार लागत – **9.24 लाख (कनवरजेंस के माध्यम से)**

प्रति परिवार कुल प्रस्तावित लागत – **24.24 लाख (एन.टी.सी.मद एवं कनवरजेंस)**

For Relocation of Tilaidabara village –77 Families Headwise Amount Needed –

NTCA - 1155.00 Lac

Convergence - 508.20 Lac

Total - 1663.20 Lac

प्रपत्र - 1

अद्यानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव - तिलईडबरा परिवार संख्या- 77, कक्ष क्रमांक 97
विकल्प - 1 के तहत प्रस्तावित परिवार संख्या-22, विकल्प - 2 के तहत प्रस्तावित परिवार संख्या - 55

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं कनवरजेंस के माध्यम से प्रस्तावित कार्य

क्र.	घटक	उप घटक	विवरण	यूनिट	दर प्रति यूनिट (रुपये)	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)			कनवरजेंस हेतु प्रस्तावित योजना	विकास विभाग का नाम	रिमार्क
								NTCA	Convergence	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन												
1.1		परियोजना निर्माण	ग्राम विस्थापन/विकास योजना तैयार करना, ले-आउट, प्लान तथा डी.पी. आर. आदि तैयार करना	प्रति ग्राम	300000	1	3.00	3.00	0.00	3.00	-	एन.टी.सी.ए.	
1.2		परियोजना क्रियान्वयन	स्वीकृत परियोजना अनुसार क्षेत्र ले-आउट निर्माण, स्थानीय युवाओं का कौशल उन्नयन तथा उपयोग आदि	प्रति ग्राम	300000	1	3.00	3.00	0.00	3.00	-	एन.टी.सी.ए.	
1.3		क्वॉजर रिपोर्ट तैयार करना	ग्राम विस्थापन/विकास योजना का पूर्ण करने संबंधी अंतिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना	प्रति ग्राम	200000	1	2.00	2.00	0.00	2.00	-	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (1) -	-	-	-	8.00	8.00	0.00	8.00	-	-	
2	हितग्राहीमूलक कार्य												
2.1		गृह निर्माण कार्य	आवासीय भवन तथा बाड़ी निर्माण	परिवार संख्या	650000	55	357.50	357.50	0.00	357.50	-	एन.टी.सी.ए.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2		कृषि भूमि विकास कार्य	कृषि भूमि समतलीकरण-2.00 हे. प्रति परिवार कृषि भूमि विकास करने हेतु	Hac.	150000	110	165.00	55.00	110.00	165.00	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 1.00 लाख प्रति हे. एवं 0.50 लाख प्रति हे. एन.टी.सी.ए. मद से प्रस्तावित	पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं एन.टी.सी.ए.	
2.2.1			सिंचाई हेतु डबरी निर्माण व्यवस्था	हितग्राही संख्या	300000	55	165.00	0.00	165.00	165.00	मनरेगा	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	
2.2.2			सोतर पम्प तथा सिंचाई पम्प हेतु अनुदान	हितग्राही संख्या	50000	55	27.50	27.50	0.00	27.50	-	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (2.2)-		-	-	357.50	82.50	275.00	357.50	-	-	
2.3		जीविकापार्जन विकास संबंधी कार्य											
2.3.1			उद्यानिकी विकास हेतु अनुदान	हितग्राही संख्या	50000	55	27.50	0.00	27.50	27.50	उद्यानिकी विभाग से अनुदान	उद्यानिकी विभाग	
2.3.2			मछली पालन हेतु अनुदान	हितग्राही संख्या	50000	55	27.50	0.00	27.50	27.50	मत्स्य पालन विभाग से अनुदान	मत्स्य पालन विभाग	
2.3.3			दूध/भुर्री पालन हेतु अनुदान	हितग्राही संख्या	25000	55	13.75	0.00	13.75	13.75	पशुपालन विभाग से अनुदान	पशुपालन विभाग	
2.3.4			लघु वनोपज आधारित विकास	हितग्राही संख्या	25000	55	13.75	0.00	13.75	13.75	लघु वनोपज संघ से अनुदान	वन विभाग (लघु वनोपज संघ)	
2.3.5			अन्य प्रशिक्षण	हितग्राही संख्या	10000	55	5.50	0.00	5.50	5.50	मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना	तकनीकी शिक्षा विभाग	
			Sub Total (2.3)-	-	-	-	88.00	0.00	88.00	88.00	-	-	
2.3.6		अनुदान राशि	प्रारंभिक अनुदान	परिवार संख्या	75000	55	41.25	41.25	0.00	41.25	हितग्राही को विस्थापन कार्य में सहायता के रूप में	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (2.5&2.6)-	-	-	-	41.25	41.25	0.00	41.25	-	-	
			Total (2)-	-	-	-	844.25	481.25	363.00	844.25	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	सामुदायिक अशोसरचना विकास कार्य												
3.1	पेयजल व्यवस्था	हैण्डपम्प की स्थापना	हैण्डपम्प संख्या	90000	8	7.20	7.20	0.00	7.20	-		एन.टी.सी.ए.	
3.2	पेयजल व्यवस्था	नल जल योजना (लौर खनन/टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की व्यवस्था)	परिवार संख्या	100000	55	55.00	55.00	0.00	55.00	-		एन.टी.सी.ए.	
		Sub Total (3.1&2) -		-	-	62.20	62.20	0.00	62.20	-		-	
3.3	सिंचाई जलस्रोत विकास	स्टापडेम निर्माण कार्य	No.	2500000	2	50.00	50.00	0.00	50.00	-		एन.टी.सी.ए.	
3.3.1		निस्तरारी तालाब निर्माण कार्य पंचरी सहित	Hac.	2500000	2	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	मनरेगा	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	
		Sub Total (3.2) -		-	-	100.00	50.00	50.00	100.00	-		-	
3.4		सड़क निर्माण कार्य डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण	Km.	200000	3.3	6.60	6.60	0.00	6.60	-		एन.टी.सी.ए.	
3.4.1		सी.सी. रोड निर्माण कार्य	Km.	4500000	3	135.00	135.00	0.00	135.00	-		एन.टी.सी.ए.	
3.4.2		स्पटा पुलिया निर्माण कार्य	No.	700000	6	42.00	42.00	0.00	42.00	-		एन.टी.सी.ए.	
		Sub Total (3.3) -		-	-	183.60	183.60	0.00	183.60	-		-	
3.5	विद्युतीकरण	व्यवस्थापित ग्राम में प्रकाश व्यवस्था	परिवार संख्या	50000	55	27.50	0.00	27.50	27.50	27.50	मुख्यमंत्री मजदूरी योजना विद्युतीकरण योजना	विद्युत विभाग	
3.6		वृक्षारोपण/चारगाह विकास कार्य	Hac.	300000	10	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	हरियर छत्तीसगढ़	वन विभाग	
3.6.1		बास रोपण कार्य	Hac.	300000	10	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	हरियर छत्तीसगढ़	वन विभाग	
3.6.2		घास रोपण कार्य	Hac.	75000	10	7.50	0.00	7.50	7.50	7.50	पशुपालन विभाग	पशुपालन विभाग	
		Sub Total (3.5) -		-	-	67.50	0.00	67.50	67.50	-		-	
3.7	सामुदायिक संपत्ति विकास												
3.7.1		मुक्तिधाम निर्माण कार्य	No.	500000	1	5.00	5.00	0.00	5.00	-		एन.टी.सी.ए.	
3.7.2		प्राथमिक शाला भवन निर्माण	No.	850000	1	8.50	8.50	0.00	8.50	-		एन.टी.सी.ए.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.7.3			माध्यमिक शाला भवन निर्माण	No.	1250000	1	12.50	12.50	0.00	12.50			
3.7.4			आंगनवाड़ी भवन निर्माण	No.	750000	1	7.50	7.50	0.00	7.50	-	एन.टी.सी.ए.	
3.7.5			सामुदायिक भवन	No.	650000	1	6.50	6.50	0.00	6.50	-	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (3.6.1) -	-	-	-	40.00	40.00	0.00	40.00	-	-	
			Total (3) -				480.80	335.80	145.00	480.80	-	-	
			Grand Total -	-	-	-	1333.05	825.05	508.00	1333.05	-	-	

लागत प्रति परिवार

24.24

15.00

9.24

24.24

0.00

टीप-

- ग्राम विस्थापन कार्य के अंतर्गत एन.टी.सी.ए. से रु. 15.00 लाख प्रति परिवार एवं विभिन्न विकास योजनाओं कनवरजेंस से रु. 9.24 लाख कुल रु. 24.24 लाख प्रति परिवार राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

- उपरोक्तानुसार एन.टी.सी.ए. एवं कनवरजेंस के माध्यम से विस्थापित परिवारों को अधिक से अधिक लाभ दिये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

उप संचालक

अचानकमार टाईगर रिजर्व

लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

प्रपत्र - 1 का गोशवारा (प्रस्तावित घटक अनुसार व्यय)

अवानकभार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव - तिलईडबरा, परिवार संख्या - 55

क्र.	घटक	उप घटक	विवरण	यूनिट	दर प्रति यूनिट (रुपये)	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)			कन्वर्जेन्स हेतु प्रस्तावित योजना	विकास विभाग का नाम	रिमार्क
								NTCA	Convergence	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन			-	-	55	8.00	8.00	0.00	8.00			
2	हितग्राहीमूलक कार्य			-	-	55	844.25	481.25	363.00	844.25			
3	सामुदायिक अयोसरचना विकास कार्य			-	-	55	480.80	335.80	145.00	480.80			
	Total-			0	0	55	1333.05	825.05	508.00	1333.05			

लागत प्रति परिवार

24.24 15.00 9.24 24.24

प्रपत्र - 1 का गोशवारा (घटक अनुसार प्रति परिवार प्रस्तावित व्यय)

अवानकभार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव - तिलईडबरा, परिवार संख्या - 55

क्र.	घटक	उप घटक	विवरण	यूनिट	दर प्रति यूनिट (रुपये)	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)			कन्वर्जेन्स हेतु प्रस्तावित योजना	विकास विभाग का नाम	रिमार्क
								NTCA	Convergence	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन			-	-	55	0.15	0.15	0.00	0.15			
2	हितग्राहीमूलक कार्य			-	-	55	15.35	8.75	6.60	15.35			
3	सामुदायिक अयोसरचना विकास कार्य			-	-	55	8.74	6.11	2.64	8.74			
	Total-			0	0		24.24	15.00	9.24	24.24			

उप संचालक

अवानकभार टाईगर रिजर्व

लोहरा, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

RELOCATION PLAN AND ESTIMATE OF VILLAGE BIRARPANI & CHHIRHATTA

1. INTRODUCTION:-

ACHANAKMAR TIGER RESERVE:

Achanakmar Tiger Reserve is one of the best wild life reserves of central India. It is situated in the eastern part of Maikal hills of Satpuda ranges and north west of Mungeli District of Chhattisgarh. Sal, Bamboo and high quality of mixed forest is the beauty of this reserve. Its biodiversity in flora and fauna makes it as part of 14th Biosphere reserve of India. A part from tiger this reserve is known for presence of Mouse Deer (Indian Chevrotain) in central India. Achanakmar experience leaves a multitude of superlative in the mind. The breathtaking setting, rolling slopes clad with the stately Sal amidst and plateaus interspersed with mixed forests afford an eyeful to the observer. The habitat presents a cross section of the typical Central Indian wild animals roaming in gay abandon.

Area of the Tiger Reserve is also a part of Achanakmar-Amarkantak Biosphere reserve. Director Biosphere Reserve is also one of the free managers of the area. Total Area of the reserve is 914.017 sq.kms. The core zone area is 626.195 sq.kms. and that of the buffer zone is 287.822 sq.kms.

1.1 Name, Location, Constitution and Extent:

1.1.1 Name:

Achanakmar Tiger Reserve is named on one prominent village namely Achanakmar which is situated only on the entrance of Tiger Reserve.

1.1.2 Location:

Achanakmar Tiger Reserve is situated in the Mungeli district of Chhattisgarh state. The tiger reserve is situated at the following geographical co-ordinates.

Longitude	81 ⁰ 31'03.39'' E to 81 ⁰ 57'13.18'' E
Latitude	22 ⁰ 17' 42.19'' N to 22 ⁰ 38' 34.17''N

1.1.3 Constitution:

Core area of Achanakmar Tiger Reserve comprises of Achanakmar Wild Life Sanctuary.

1.1.4 Extent (Area Statement and Legal Status):

Area of Achanakmar is 914.017 sq.kms. the details are as following:

S.No.	Status	Area in sq.kms.
1.	Core Zone	626.195
2.	Buffer Zone	287.822
	Total-	914.017

1.1.5 Notification:

Achanakmar Tiger Reserve is notified vide the Govt. of C.G. Forest Department **notification No. F8-43/2007/10-2, Raipur, dated 20 Feb. 2009** under wild life (protection) act 1973 section 38v.

1.1.6 Approach & Access :

Achanakmar Tiger Reserve is approachable by Train and road from Pendra Road, Kargi Road, Lormi and Bilaspur. The road distances from above stations are as below:

Stations	Major route	Entry point	Distance (in km)
Bilaspur	Bilaspur-Amarkantak Road	Achanakmar	56
Kargi Road	Bilaspur-Amarkantak Road	Achanakmar	25
Pendra Road	Manendragarh-Bilaspur Road	Lamni	35
Lormi Road	Lormi-Surhi Road	Surhi	20

Tourists from and to Amarkantak, Bandhavgarh, follow this route to visit Achanakmar. The nearest Airport is at Raipur. Forest Resort (Baiga Resort), Aamadob Resort are available at Shivtarai & Aamadob villages near Achanakmar Tiger Reserve.


The nearest medical facility is available at Kota, Pendra Road, Lormi, Telephone facility is not available in the Tiger Reserve even cell phone can not communicate except few place near Achanakmar and Lamni.

1.1.7 Introduction of Village to be Relocated:

Indiscriminate destruction of forest and wild life habitat, shrinkage in the forest and over hunting of wild animals in the past decades have posed threat of extinction, a lot of flora and faunas. Achanakmar Tiger Reserve has got immense varieties of flora and fauna. There are 19 villages inside the Tiger Reserve, which creates a lot of biotic pressure and man-made disasters for the wild animals of the Tiger Reserve. To ensure the habitat development of Achanakmar Tiger Reserve particularly to create meadows as well as to eliminate the biotic pressure in the core

area of Tiger Reserve. Hence to relocation of **Birarpani Village** is an essential step to achieve the desired target. The relocated village will be provided with the necessary financial and social benefits in addition to infrastructure facilities.

The **Birarpani Village** is situated in the Birarpani Beat and compartment No. 304 area of 254.95 hac and **Chhirhatta village** is situated in the Chhirhatta Beat and compartment No. 342 area of 251.315 hac. in the Achanakmar Tiger Reserve Lamni Range, and in the Lormi Dist. Mungeli, Chhattisgrh. The village will be relocated to Lormi Range of Mungeli Forest Division of Mungeli District in Compt. No. RF 556,557,558 (Bharatpur) having an area of 261.427, 145.26, 150.13 = 556.828 ha. The Govt. of India, Ministry of Environment, forest and Climate Change (FC division) vide its letter F.No. 8-93/2013-FC dated 18.03.2015 and vide letter No. 8-93/2013- FC dated 17.04.2015 has granted diversion of forest land for



relocation of Birarpani, Rajak, Sarasdol, Tilaidabara, Chhirhatta, in Achanakmar Tiger Reserve.

The New site for relocation of village Birarpani and Chhirhatta is near Lormi in Mungeli district. The area for relocation is chosen by villagers of Birarpani and Chhirhatta in Comportment No. RF 558. Bharatpur village is about **70 km.** away from Birarpani and Chhirhatta village in the Lamni range of Achanakmar Tiger Reserve. Selected site is 5 km. away from Bharatpur, which is connected with WBM road. Bharatpur is connected by RCC Road on the all weather PWD road of Bilaspur-Lormi.

The option of package number I and II for relocation which adequately covers the “**National Rehabilitation and Resettlement Policy 2007**” were detailed to villagers. Options selected by villagers as below:-

As per Guideline NTCA - Relocation Option – I

- ❖ Rs. 15.00 Lakh per Family.
- ❖ Monitoring process involving the District Magistrate of concerned.
- ❖ Depositing a considerable portion of the amount in the name of the beneficiary in a nationalized bank for obtaining income through interest generated.

Option I- Carrying Out Relocation of **00 families** of Birarpani & Chhihatta village from Achanakmar Tiger Reserve.

As per Guideline NTCA - Relocation Option – II

In case option-II, the following package (Per family) in proposed, at the rate of Rs. 15 lakhs per family.

(a)	Agriculture land procurement (2 hectare) and development	35% of the total package
(b)	Settlement of rights	30% of the total package
(c)	Homestead land and house construction	20% of the total package
(d)	Incentive	5% of the total package
(e)	Community facilities commuted by the family (across road, irrigation drinking water, sanitation, telecommunication, electricity, community center, religious place of worship, burial/cremation ground)	10% of the total package

Option II- Carrying Out Relocation of **56 families** of Birarpani & Chhirhatta village from Achanakmar Tiger Reserve.

At Birarpani & Chhirhatta village **56 Families** are forest right holders & **00 Families** are non forest right holders as per forest act (2006).

As per Guideline NTCA -For Relocation of 56 Families - Amount Needed in

Option – I = 0.00 Lac.

Option – II = 840.00 Lac.

Total - = 840.00 Lac.

1.2 Name of Village:-

Village - Birarpani

1 (a)	Name of Tiger Reserve	Achanakmar Tiger Reserve
	Name of Range	Lamni
1 (b)	Name of Village	Birarpani
	Name of Beat	Birarpani
	Compartment No.	304
1(c)	Total Area of above Compartment	254.95 hac.
	Affected area by Villager	254.95 Hac.
	Total Area of Village to be Rehabilitated	254.95 Hac.
	Cultivation Field	52.00 Ha.
	House and Badi	1.30 Ha.
	Community Uses	5.20 Ha.
	Allotted to Grazing	75.55 Ha.
	Road and Canal	1.3 Ha.
	Total:-	254.95 Ha.

Village – Chhirhatta

1 (a)	Name of Tiger Reserve	Achanakmar Tiger Reserve
	Name of Range	Lamni
1 (b)	Name of Village	Chhirhatta
	Name of Beat	Chhirhatta
	Compartment No.	342
1(c)	Total Area of above Compartment	251.315 hac.
	Affected area by Villager	251.315 Hac.
	Total Area of Village to be Rehabilitated	251.315 Hac.
	Cultivation Field	52.00 Ha.
	House and Badi	1.30 Ha.
	Community Uses	5.20 Ha.
	Allotted to Grazing	71.915 Ha.
	Road and Canal	1.3 Ha.
	Total:-	251.315 Ha.

1.3 Total Area of Village -

As Above

1.4 Legal Status -

The Selected site for relocation is in the Comp. No. 558 Reserve Forests of the Lormi Range of Mungeli Division.

1.5 Summary -

(i) Number of Families (Category Wise) :-

Village - Birarpani

S.N.	Description	No. of Family		
		Forest Right Holders	Non Forest Right Holders	Total
i	Number of Families	26	-	26
	S.T. Population	77	-	77
	TOTAL (Population)	77	-	77

Village - Chhirhatta

S.N.	Description	No. of Family		
		Forest Right Holders	Non Forest Right Holders	Total
i	Number of Families	30	-	30
	S.T. Population	94	-	94
	TOTAL (Population)	94	-	94

(ii) **Total Human Population:-** Total Population of Birarpani & Chhirhatta Village 171.

(iii) **Total Live Stock Population:-** Total Live Stock of Birarpani & Chhirhatta Village 119.

(iv) Proposed site for Relocation :-

The proposed site for relocation of village Birarpani & Chhirhatta is near Lormi in Mungeli district. The area for relocation is chosen by villagers of Birarpani & Chhirhatta in Compartment No. RF 558 the Bharatpur village is about 72 km. away from Birarpani & Chhirhatta village in the Lamni range of Achanakmar Tiger Reserve. Selected site is 2 km. away from Bharatpur, which is

connected with WBM road. Bharatpur is connected on the all weather PWD road of Bilaspur-Lormi. Lormi Bilaspur Road by 10 K.m. away from Tah. Lormi Distt. Mungeli. (C.G.). Proposed site R.F. No. 558 is 4 K.M. away from **Navadih** The name of gram panchayat to include the proposed site under the nearest gram panchayat is **Paswara**. Water available all over the year in the nearest Bharatpur tank. Proposed site's revenue border is within the Mungeli district. PDS Shop and Sub health centre is available in **Bharatpur** Nearest Bank Branch is situated in lormi which is about 9 K.M. from proposed site and below listed banks are available in lormi – State bank of india, Punjab National Bank, Co-operative Bank, Chhattisgarh Gramin Bank. Post Office is available in vill **Navadih**.


(v) Area of the Proposed site and its legal status :-

The new site is situated in Compt. No. 558 of Lormi Range of Mungeli Division. The site is reserve forest. The area for rehabilitation is measuring about 128.80 ha. The total area of above Compartment is 150.139 ha. As follow :-

Details of Proposed site for relocation

Division	Mungeli
Range	Lormi
Beat	Bharatpur
Compartment No.	558
Area of Compartment	150.139 ha.
Forest Block	Bharatpur(Jogipur)
Proposed Area for Relocation	128.80 ha

Map of Compartment No. 558



(vi) Total allocation required

Option –II Total Allocation Required for 56 Families - 840.00 Lac

Option-II allocation details are given as per NTCA Para 4.2.2

Rate of Rs. 15.00 lacs per Family as following :-

S.No.	Work	Package
a.	Agriculture Land Procurement (2 Hac.) and Development	35% of the total package
b.	Settlement of rights	30% of the total package
c.	Home Stead Land and House Construction	20% of the total package
d.	Incentive	5% of the total package
e.	Community Facilities commuted by the family (access road, irrigation, drinking water facility, sanitation, electricity, telecommunication, community centre, religious places of worship, Burial/cremation ground.	10% of the total package

As per NTCA Guideline Proposed Amount:-

S.No.	Work	Rate	Amount
1.	Agriculture Land Development (35% of the total package)	1.00 Lac/Hac.	294.00 Lac
2.	Home Stead Land and House Construction (20% of the total package)	4.77 Lac/ Family	168.00 Lac
3.	Incentive (5% of the total package)	0.75 Lac/Family	42.00 Lac
4.	Settlement of rights (Community Facility) commuted by the family (access road, irrigation, drinking water facility, sanitation, electricity, telecommunication community centre, religious and worship places, cremation and burial site. (40% of the total package)	2.73 Lac/Family	336.00 Lac.
		Total-	840.00 Lac.

2. Master List of Families Identified :-

1- Village – Birarpani

ग्राम व्यवस्थापन परिवार सूची – बिरारपानी												
क्र	नाम	पिता का नाम	जाति	उम्र	पशु संख्या						विकल्प	रिमार्क
					गाय	बैल	भैंस	भैंसा	अन्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
1	गुलबहा	धाधो	बैगा	60	1	2	—	—	2	5	II	0572486 / 0.462
	जेठिया	जौजे गुलबहा	बैगा	58								
2	लामू	गुलबहा	बैगा	25	—	—	—	—	—	—	II	
	कौशिल्या	जौजे लामू	बैगा	26								
	लक्ष्मी	लामू	बैगा	13								
	ज्योति	लामू	बैगा	11								
	कुसुम	लामू	बैगा	9								
3	बिहारी	गोरेलाल	बैगा	24	8	6	—	—	13	27	II	0.572488 / 10.295
	श्याम बाई	जौजे बिहारी	बैगा	24								
	सुन्दरी	गोरेलाल	बैगा	16								
	कलेशमति	बिहारी	बैगा	11								
4	भदरू	धोधो	बैगा	55	1	2	—	—	3	6	II	0163487 / 0.048
	सोन सिंह	भदरू	बैगा	16								
	बिराजो	भदरू	बैगा	10								
5	सिपईहा	कोलई	बैगा	28	5	—	—	—	—	5	II	0163488 / 0.110
	श्याम बती	जौ सिपईहा	बैगा	27								
	संतोषी	सिपईहा	बैगा	14								
	सुनील	सिपईहा	बैगा	12								
	ललित	सिपईहा	बैगा	10								
	शिवकुमारी	सिपईहा	बैगा	8								
	लक्ष्मी	सिपईहा	बैगा	6								
	माथुरा	सिपईहा	बैगा	4								
	पिंकी	सिपईहा	बैगा	1								
6	धनीराम	रवनू	बैगा	46	16	16	—	—	39	115	II	0163489 / 0.136
	रमली	जौजे धनीराम	बैगा	44								
7	जानकी	धनीराम	बैगा	25							II	
	मीरा	धनीराम	बैगा	17								
8	इन्दराम	धनीराम	बैगा	26	—	—	—	—	—	—	II	
	श्रीमती	जौजे इन्दराम	बैगा	24								

9	रामचरण	धनीराम	बैगा	24	—	—	—	—	—	—	II	
	सियाबती	जौजे रामचरण	बैगा	23								
	निलेसिया	रामचरण	बैगा	7								
	कमलेसिया	रामचरण	बैगा	4								
	कमलेश	रामचरण	बैगा	2								
	नीलम	रामचरण	बैगा	3 मांह								
10	सुन्दर	धनीराम	बैगा	19	—	—	—	—	—	—	II	
11	गौतम	बुधराम	बैगा	24	—	—	—	—	—	—	II	0572493 / 0.234 0572489 / 0.453
	तीजा	जौजे गौतम	बैगा	22								
	बनवासी	गौतम	बैगा	4								
	रामनाथ	गौतम	बैगा	1								
12	बीर सिंह	डोंगरू (रसलू)	बैगा	60	5	7	—	—	20	32	II	0572492 / 0. 218
	मंगली	जौ बीरसिंह	बैगा	55	मृत हो गयी है।							
13	सोन सिंह	रसलू	बैगा	32	—	—	—	—	—	—	II	
	प्रेमबती	जौजे सोनसिंह	बैगा	26								
	सुखमती	सोनसिंह	बैगा	9								
	कमलवती	सोनसिंह	बैगा	4								
	विनोद कुमार	सोनसिंह	बैगा	3								
14	सुकाल	रवनू	बैगा	50	19	2	4	2	20	47	II	0163486 / 1.270
	महकी	जौजे सुकाल	बैगा	49								
	सीता	सुकाल	बैगा	13								
	आरती	सुकाल	बैगा	9								
15	हीरा	सुकाल	बैगा	32	13	2	—	—	—	15	II	
	दरोगनी	जौजे हीरा	बैगा	31								
	रामचन्द्र	हीरा	बैगा	7								
	शिवकुमारी	हीरा	बैगा	4								
	शिवशंकर	हीरा	बैगा	9 मांह								
16	लाल सिंह	सुकाल	बैगा	24	13	2	2	—	—	17	II	
	भागबती	जौजे लालसिंह	बैगा	23								
	चन्द्रकली	लालसिंह	बैगा	5								
	शिवकली	लालसिंह	बैगा	3								
	अनुशा	लालसिंह	बैगा	3 मांह								
17	भोले	सुकाल	बैगा	21	—	—	—	—	—	—	II	0572487 / 0.679
	रामकली	जौजे भोले	बैगा	20								
	रिया	भोले	बैगा	3 मांह								
18	राजेश	सुकाल	बैगा	19	—	—	—	—	—	—	II	

19	रामवती	विश्राम	बैगा	26	11	10	—	—	15	36	II	
	सुमित्रा	विश्राम	बैगा	16	शादी करके माझाटोला चली गयी है।							
	हेमा	विश्राम	बैगा	15								
	छोटेलाल	विश्राम	बैगा	11								
20	रेशम	विश्राम	बैगा	25	—	—	—	—	—	—	II	
	दसमी	जौजे रेशम	बैगा	24								
	चन्द्रसिंह	रेशम	बैगा	3								
21	विजय	विश्राम	बैगा	20	—	—	—	—	—	—	II	
22	बुध सिंह	विश्राम	बैगा	19	—	—	—	—	—	—	II	
23	सवनी बेवा	बनवाली	बैगा	51	6	4	—	—	10	20	II	0572495 / 0.364
24	दरोगनी	बनवाली	बैगा	22	—	—	—	—	—	—	II	
	फागूराम	बनवाली	बैगा	14								
25	बैसाखू	बनवाली	बैगा	19	—	—	—	—	—	—	II	
	बैसखिया	जौजे बैसाखू	बैगा	18								
26	इन्दरमती बेवा	काशी	बैगा	28	—	—	—	—	—	—	II	0572491 / 0.841
	सविता	काशी	बैगा	8								

2- Village – Chhirhatta

ग्राम व्यवस्थापन परिवार सूची — छिरहट्टा												
क्र	नाम	पिता का नाम	जाति	उम्र	पशु संख्या						विकल्प	रिमार्क
					गाय	बैल	भैंस	भैंसा	अन्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
1	पनकू	बुधराम	बैगा	38	2	2	—	—	—	4	II	
	राम बाई	जौजे पनकू	बैगा	36								
	सैबीन	पनकू	बैगा	11								
	दूरपति	पनकू	बैगा	8								
	दिलेश	पनकू	बैगा	6								
	दिलीप	पनकू	बैगा	4								
2	पंचराम	बुधराम	बैगा	32	—	—	—	—	—	—	II	
3	शांति बेवा	चतरु	बैगा	46	—	—	—	—	—	—	II	
4	रामा	चतरु	बैगा	31	—	—	—	—	—	—	II	
5	लक्ष्मण	चतरु	बैगा	31	—	—	—	—	—	—	II	
6	लल्लू	चतरु	बैगा	27	—	—	—	—	—	—	II	
	जानकी	जौजे लल्लू	बैगा	23								
	मुन्नी	लल्लू	बैगा	3								
7	बडे कुंवर	बरतू	बैगा	53	2	4	—	—	5	11	II	
8	फगनी	बडे कुंवर	बैगा	21							II	
9	मंगली	बडे कुंवर	बैगा	37	—	—	—	—	3	3	II	
	अभियास	बडे कुंवर	बैगा	13								
10	सुख सिंह	चतरु	बैगा	37	—	—	—	—	—	—	II	
	कुमारी	जौजे सुखसिंह	बैगा	27								

	राजमति	सुखसिंह	बैगा	9								
	रजमनिया	सुखसिंह	बैगा	7								
	शिवमनिया	सुखसिंह	बैगा	4								
11	छेरकू	बिरझू	बैगा	56	—	—	—	—	—	—	II	
	लमिया	जौजे छेरकू	बैगा	46								
	सुखदेव	छेरकू	बैगा	15								
	देवनारायण	छेरकू	बैगा	10								
12	छन्नू लाल	बीर सिंह	बैगा	51	2	4	—	—	6	12	II	
	जानकुंवर	जौजे छन्नूलाल	बैगा	45								
	डीफलेश	छन्नू लाल	बैगा	14								लडकी
	राकेश	छन्नू लाल	बैगा	10								
13	सैंचू	बुटनी	बैगा	47	—	—	6	2	4	12	II	
	असडी	जौजे सैंचू	बैगा	51								
14	जेठिया	सैंचू	बैगा	19	विवाह हो चुकी है।							
15	जेटू	सैंचू	बैगा	29	—	—	—	—	2	2	II	
	शिवकुमारी	जौजे जेटू	बैगा	27								
	शिवकुमार	जेटू	बैगा	5								
	आसमनी	जेटू	बैगा	2								
16	सोन सिंह	राय सिंह	बैगा	39	—	—	—	—	—	—	II	
	भागमति	सोनसिंह	बैगा	37								
	भानूमति	सोनसिंह	बैगा	10								
	सम्पति	सोनसिंह	बैगा	8								
	हरिमन	सोनसिंह	बैगा	6								
	हिरमनी	सोनसिंह	बैगा	3								
17	जोन सिंह	राय सिंह	बैगा	36	—	2	—	—	—	2	II	
	सुनील	जोन सिंह	बैगा	7								
	अनिल	जोन सिंह	बैगा	4								
18	मानसिंह	राय सिंह	बैगा	34	—	—	—	—	—	—	II	
19	बुधवार	राय सिंह	बैगा	29	—	—	—	—	1	1	II	
	शिवमति	जौजे बुधवार	बैगा	26								
	अनिमा	बुधवार	बैगा	5								
	लमिया	बुधवार	बैगा	3								
20	पंचराम	राय सिंह	बैगा	24							II	
	जानमति	जौजे पंचराम	बैगा	23								
	सुत्रपाल	पंचराम	बैगा	9 मांह								
21	अर्जुन सिंह	बिगरु	बैगा	29	3	4	—	—	2	9	II	
	पारवती	जौजे अर्जुन	बैगा	26								
	अनिता	अर्जुन	बैगा	7								
	अक्षय कुमार	अर्जुन	बैगा	4								
	सोनू	अर्जुन	बैगा	2								
22	धनसिंह	गोरेलाल	बैगा	39	3	3	—	—	4	10	II	
	सोनमति	जौजे धनसिंह	बैगा	29								
23	रजिन्द	धनसिंह	बैगा	20							II	

	कुमारी											
	राजेन्द्र कुमार	धनसिंह	बैगा	13								
	निलेश कुमार	धनसिंह	बैगा	11								
	अनेस	धनसिंह	बैगा	8	मृत्यु हो चुका है।							
	संगीत कुमारी	धनसिंह	बैगा	3								
24	पकरू	फक्कू	बैगा	71	मृत्यु हो चुका है।						II	
	मंगली	जौजे पकरू	बैगा	67								
25	सम्हर	पकरू	बैगा	47	2	—	—	—	—	2	II	
	चन्दरवति	सम्हर	बैगा	40	मृत्यु हो चुका है।							
	गुलाब	सम्हर	बैगा	17								
	ज्ञान	सम्हर	बैगा	15								
	रामू	सम्हर	बैगा	13								
26	देवकुमार	पकरू	बैगा	44	1	2	—	—	2	5	II	
	मंघिया	जौजे देवकुमार	बैगा	26								
	अजीतराम	देवकुमार	बैगा	13								
	लमतू	देवकुमार	बैगा	11								
	सविता	देवकुमार	बैगा	7								
	शक्ति	देवकुमार	बैगा	4								
	मनीष	देवकुमार	बैगा	2								
27	अमर सिंह	पकरू	बैगा	31	4	2	—	—	—	6	II	
	फुलबन्ती	जौजे अमर सिंह	बैगा	29								
	रामप्यारी	अमर सिंह	बैगा	2								
28	चैन सिंह	पकरू	बैगा	28	—	—	—	—	1	1	II	
	जयकुमारी	जौजे चैनसिंह	बैगा	26								
	सुरेश	चैनसिंह	बैगा	7								
	साक्ष्यकुमार	चैनसिंह	बैगा	2								
29	इतवारी	मंगन	बैगा	31							II	
	गिता बाई	जौजे इतवारी	बैगा	27								
	मनोज	इतवारी	बैगा	7								
	अनोज	इतवारी	बैगा	3								
30	गुड्डा	बुधराम	गोड़	31							II	
	शांति	जौजे गुड्डा	गोड़	30								

3. SETTLEMENT OF RIGHTS :-

Under this work head the villagers will be compensated for their existing Well, Pond, Plantation and other structures. Like wise near by their new settlement area road side Plantation and habitat development work and meadow development work will be taken up.


1. Each Family will be provided with 2 hectare cultivable land.
2. Each Family will also be allotted land for house construction i.e. 2.5% of cultivable land.
3. In new site of village, Community center, School Building (Primary), Drinking water facility, Tube well, Hand pump, Electrification, and cultural programme site will be developed. The area will cover 10% of cultivable land.
4. After relocation family will be given an incentive of up to Rs. 75000 in cash for their settlement by depositing the money in Bank or Post Offices.
5. The above work will be performed by the forest department where a Forester/Forest Guard will be a secretary to look after.
6. For Road Construction 2.5% of the cultivable land will be kept.
7. Near to new site Grazing field, Fuel, Fodder, Fruit bearing plantation will also be raised.

4. DETAILS OF INCENTIVE TO BE PROVIDED :

After relocation of village at new site Rs. 75000 per family will be deposited on their near by Bank/Post Offices. The expenditure of transport of material of their old house will be included in the same amount.



5. In Case of Option II:-

(A)Description of relocation site, with a map showing layout of homestead land and community facility




Proposed Relocation Master Plan of Birarpani and Chirhatta village to Bharatpur village, on Compartment number 556,557,558

Proposed Relocation Master Plan of Birarpani and Chirhatta village to Compartment number 556,557,558





LAYOUT PLAN OF AGRICULTURE



(B) & (C) Detail of propped work at relocation site; agricultural land (procurement/Development), transportation, construction, pasture/

Proposed Relocation Master Plan of Birarpani and Chirhatta village to Compartment number 556,557,558



LAYOUT PLAN OF AGRICULTURE



(B) & (C) Detail of propped work at relocation site; agricultural land (procurement/Development), transportation, construction, pasture/

5.2 हितग्राहीमूलक कार्य :-

5.2.1 गृह निर्माण कार्य :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर प्रति परिवार रू. 650000/- की लागत से 01 आवासीय भवन निर्माण कर दिया जाना है। (एन.टी. सी.ए.मद)

5.2.2 कृषि भूमि विकास कार्य :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर प्रत्येक परिवार को 2.00 हे. कृषि भूमि विकसित कर प्रदाय किया जावेगा। प्रस्तावित कृषि भूमि वनक्षेत्र एवं जड़युक्त भूमि है, जिसे कृषि योग्य भूमि का विकास के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मद अंतर्गत रू. 1.00 लाख प्रति हे. के दर से प्रस्तावित की गई है। एन. टी.सी.ए. मद से प्राप्त राशि से रू. 50,000/- प्रति हे. की दर से जे.सी.बी. के माध्यम से कृषि योग्य भूमि में विकसित कराना प्रस्तावित किया गया गया। (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा एन.टी.सी.ए. मद)

5.2.3 सिंचाई हेतु डबरी निर्माण कार्य :- कृषि सिंचाई साधन के विकास के लिये कनवरजेंस के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को एक-एक डबरी निर्माण कराकर दिया जाना प्रस्तावित है। (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

5.2.4 सोलर पम्प तथा सिंचाई पम्प स्थापना हेतु अनुदान :- कृषि सिंचाई साधन का विकास हेतु हितग्राहियों के कृषि भूमि में निर्मित डबरी में सोलर पम्प की स्थापना कनवरजेंस के माध्यम से ऊर्जा विभाग के तहत क्रेडा से किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.2.5 जीविकोपार्जन विकास संबंधी कार्य:- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना तथा बैगा विकास प्राधिकरण इत्यादि योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं बैगा आदिवासी विकास प्राधिकरण)

5.2.5.1 उद्यानिकी विकास हेतु अनुदान :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के उद्यानिकी विकास कार्य करने हेतु ईच्छुक बेरोजगार युवकों को कनवरजेंस के माध्यम से उद्यानिकी का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (उद्यानिकी विभाग)

5.2.5.2 मछली पालन हेतु अनुदान :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के मछली पालन कार्य करने के ईच्छुक बेरोजगार युवकों को कनवरजेंस के माध्यम से मछली पालन कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (मत्स्य विभाग)

5.2.5.3 दूध/मुर्गी पालन हेतु अनुदान :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के दूध/मुर्गी पालन कार्य करने के ईच्छुक बेरोजगार युवकों को कनवरजेंस के माध्यम से दूध/मुर्गी पालन कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (पशुपालन विभाग)

5.2.5.4 लघु वनोपज आधारित विकास :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के लघु वनोपज संग्रहण कार्य करने के ईच्छुक बेरोजगार युवकों को कनवरजेंस के माध्यम से लघु वनोपज संग्रहण कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (लघु वनोपज संघ)

5.2.5.5 अन्य प्रशिक्षण :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम के बेरोजगार युवकों को जो कि उपरोक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के साधन उपलब्ध करना चाहते हैं उन्हें कनवरजेंस के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। (तकनीकी शिक्षा विभाग)

5.2.5.6 प्रारंभिक अनुदान राशि :- व्यवस्थापन के प्रारंभ में प्रत्येक हितग्राही के बैंक खाता में एन.टी.सी.ए. के दिशानिर्देश में दिए गए प्रावधान अनुरूप रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार रु) इन्सेंटिव की राशि दी जावेगी, जिससे कि हितग्राहियों को नये स्थान पर विस्थापित होने पर किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3 सामुदायिक अधोसंरचना :-

5.3.1 पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प की स्थापना :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से लोक

स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सहायता से हैण्डपम्प स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.2 नल जल योजना (टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की व्यवस्था) :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से बैगा आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत नलजल पानी टंकी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.3 स्टापडेम निर्माण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर कृषि भूमि को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु एन.टी.सी. ए. मद से स्टापडेम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.4 निस्तारी तालाब निर्माण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर निस्तारी कार्य हेतु कनवरजेंस के माध्यम से मनरेगा योजना अंतर्गत निस्तारी तालाब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

5.3.5 सड़क निर्माण कार्य – डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम में आवागमन का साधन सुदृढ़ करने हेतु डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण कराया जाना है, यह कार्य कनवरजेंस के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मद अंतर्गत डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.6 सी.सी. रोड निर्माण कार्य :- व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम में आवागमन का साधन सुदृढ़ करने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से पंचायत ग्रामीण विकास का मूलभूत राशि के तहत सी.सी. रोड निर्माण कार्य कराया जाना है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.7 रपटा पुलिया निर्माण कार्य :- विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर मार्ग में पड़ने वाले नालों पर आवागमन की सुलभता हेतु रपटा/पुलिया का निर्माण किया जाना है, यह कार्य एन.टी.सी.ए. मद से किया जाना प्रस्तावित है। (एन.टी.सी.ए. मद)

5.3.8 विद्युतीकरण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से विद्युत विभाग के मंझराटोला योजना अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। **(विद्युत विभाग मद)**

5.3.9 वृक्षारोपण/चारागाह विकास कार्य :—

5.3.9.1 पौधा रोपण कार्य — विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने के उपरांत आसपास वातावरण शुद्धता एवं हरियाली हेतु कनवरजेंस के माध्यम से हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत क्षेत्र में पौधा रोपण किया जाना प्रस्तावित है। **(वन विभाग)**

5.3.9.2 बांस रोपण कार्य :— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने के उपरांत आसपास वातावरण शुद्धता एवं हरियाली हेतु कनवरजेंस के माध्यम से बम्बू मिशन योजना के तहत क्षेत्र में बांस रोपण किया जाना प्रस्तावित है। **(वन विभाग)**

5.3.9.3 चारागाह विकास कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह पर व्यवस्थापन होने पर पालतू मवेशियों को उन्नत चारागाह उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से पशु पालन विभाग की सहायता से नेपियर ग्रास लगाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। **(पशु पालन विभाग)**

5.4 सामुदायिक संपत्ति विकास —

5.4.1 मुक्तिधाम निर्माण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर सामाजिक कार्य के तहत मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। **(एन.टी.सी.ए. मद)**

5.4.2 प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य :— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर ग्रामीणों के छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक शाला भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। **(एन.टी.सी.ए. मद)**

5.4.3 आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य— विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर ग्रामीणों के छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कनवरजेंस के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायता से आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। **(एन.टी.सी.ए. मद)**

5.4.4 सामुदायिक भवन सह संशाधन केन्द्र – विस्थापित ग्राम के ग्रामीणों को नये जगह व्यवस्थापन होने पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु बैगा आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत सामुदायिक भवन सह संशासन केन्द्र निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
(एन.टी.सी.ए. मद)

उपरोक्त कार्य संबंधी लागत तथा विकास योजना संबंधी गोशवारा तालिका-1 में दर्शाये गया है, जिसमें कुल 56 परिवारों के विस्थापन हेतु प्रस्तावित कुल राशि विवरण दर्शाया गया है। तालिका-2 में प्रत्येक परिवार विस्थापन हेतु घटकवार किये जाने वाले व्यय संबंधी विवरण दिया गया है। संलग्न प्रपत्र-1 में ग्राम विस्थापन कार्य में प्रस्तावित कार्य, लागत तथा योजना संबंधी विवरण आदि दर्शाया गया है।

तालिका – 1 प्रस्तावित विस्थापन कार्य की गोशवारा
ग्राम – बिरारपानी, छिरहट्टा

क्र.	घटक	परिवार संख्या	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)		
				NTCA	Convergence	Total
1	2	7	8	9	10	11
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	56	8.00	8.00	0.00	8.00
2	हितग्राहीमूलक कार्य	56	844.25	481.25	363.00	844.25
3	सामुदायिक अधोसंरचना विकास कार्य	56	480.80	335.80	145.00	480.80
	Total-	56	1333.05	825.05	508.00	1333.05

तालिका – 2 विकास कार्यवार व्यय प्रति परिवार

ग्राम– बिरारपानी एवं छिरहट्टा,

क्र.	घटक	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)		
				NTCA	Convergence	Total
1	2	7	8	9	10	11
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	56	0.15	0.15	0.00	0.15
2	हितग्राहीमूलक कार्य	56	15.35	8.75	6.60	15.35
3	सामुदायिक अधोसंरचना विकास कार्य	56	8.74	6.10	2.64	8.74
	Total-		24.24	15.00	9.24	24.24

ग्राम विस्थापन कार्य के अंतर्गत एन.टी.सी.ए. से रु. 15.00 लाख प्रति परिवार एवं विभिन्न विकास योजनाओं कनवरजेंस से रु. 9.24 लाख कुल रु. 24.24 लाख प्रति परिवार राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

6. Details of livelihood support and handholding

- (i) All these area comes under forest area. Which means it is going to be worked under agriculture for the first time. This will be a great opportunity for making organic foods, from this area. This will give them a double profit compared to normal agriculture bared food production.
- (ii) By means of creating women SHG's in this village, they can generate following materials for marketing
 - (a) Mushroom cultivation.
 - (b) vermin- compost production
 - (c) Chicken Rearing.
- (iii) All the agricultural field will be covered under solar pump bared irrigation system, which will give round the year water for farming.

Along with this farmers can go for cash crops, which will give more profits to them.

- (iv) Each agricultural field will be provided with honey production-box under the technique of apiculture, which will give additional benefits to turn along with processing the agriculture system.
- (v) Families, which involved in making bamboo banned officers will be given training to improve their skills, and the products will be sold through forest department.

7. GRIEVANCES REDRESSAL SYSTEM :-

To meet the grievances of villages who are being relocated is a moral duty of forest department. Since the Achanakmar Tiger Reserve is working as a development agency the problems regarding the rehabilitation of the village will be taken care of in to.

8. State Level Monitoring and Evaluation:-

- | | | |
|--|---|-------------------|
| (a) Chief Secretary of the state | - | Chairman |
| (b) Secretaries of related department | - | Members |
| (c) State Principal Chief Conservator
of forest | - | Member |
| (d) Non- official members of respective
Tiger Conservation Foundation | - | Members |
| (e) Chief Wildlife Warden | - | Member- Secretary |

9. Cost Table and Phasing:-

Option –II	Total Allocation Required for 56 Families	-	840.00 Lac
-------------------	--	----------	-------------------

विकल्प – 2 के तहत व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित कार्य

क्र.	घटक	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)		
				NTCA	Convergence	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	56	8.00	8.00	0.00	8.00
2	हितग्राहीमूलक कार्य	56	844.25	481.25	363.00	844.25
3	सामुदायिक अधोसंरचना विकास कार्य	56	480.80	335.80	145.00	480.80
	Total-	56	1333.05	825.05	508.00	1333.05

लागत प्रति परिवार - 24.24 15.00 9.24 24.24

प्रति परिवार लागत - 15.00 लाख (एन.टी.सी.ए. मद)

प्रति परिवार लागत - 9.24 लाख (कनवरजेंस के माध्यम से)

प्रति परिवार कुल प्रस्तावित लागत - 24.24 लाख (एन.टी.सी.मद एवं कनवरजेंस)

For Relocation of Birarpani & Chhirhatta village –56 Families Headwise

Amount Needed –

NTCA	-	840.00 Lac
Convergence	-	517.44 Lac
Total	-	1357.44 Lac

अद्यानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव - बियारपानी, छिहट्टा, परिवार संख्या- 56, कक्ष क्रमांक 558, 557

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं कनवरजेंस के माध्यम से प्रस्तावित कार्य

क्र.	घटक	उप घटक	विवरण	यूनिट	दर प्रति यूनिट (रुपये)	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)			कनवरजेंस हेतु प्रस्तावित योजना	विकास विभाग का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन												
1.1	परियोजना निर्माण	ग्राम विस्थापन/विकास योजना तैयार करना, ले-आउट, स्नान तथा डी.पी.आर. आदि तैयार करना	प्रति ग्राम	300000	1	3.00	3.00	0.00	3.00	-		एन.टी.सी.ए.	
1.2	परियोजना क्रियान्वयन	स्वीकृत परियोजना अनुसार क्षेत्र प्रति ग्राम ले-आउट निर्माण, स्थानीय युवाओं का कौशल उन्नयन तथा उपयोग आदि	प्रति ग्राम	300000	1	3.00	3.00	0.00	3.00	-		एन.टी.सी.ए.	
1.3	क्लोजर रिपोर्ट तैयार करना	ग्राम विस्थापन/विकास योजना का पूर्ण करने संबंधी अंतिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना	प्रति ग्राम	200000	1	2.00	2.00	0.00	2.00	-		एन.टी.सी.ए.	
		Sub Total (1) -	-	-	-	-	8.00	8.00	0.00	8.00	-	-	
2	हितग्राहीमूलक कार्य												
2.1	गृह निर्माण कार्य	आवासीय भवन तथा बाड़ी निर्माण	परिवार संख्या	650000	56	364.00	364.00	0.00	364.00	-		एन.टी.सी.ए.	
2.2	कृषि भूमि विकास कार्य	कृषि भूमि समतलीकरण-2.00 हे. प्रति परिवार कृषि भूमि विकास करने हेतु	Hac.	150000	112	168.00	56.00	112.00	168.00		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 1.00 लाख प्रति हे. एवं 0.50 लाख प्रति हे. एन.टी.सी.ए. मद से प्रस्तावित	पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं एन.टी.सी.ए.	
2.2.1		सिंचाई हेतु डबरी निर्माण व्यवस्था	हितग्राही संख्या	300000	56	168.00	0.00	168.00	168.00		मनरेगा	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.2			सोतर पम्प तथा सिंचाई पम्प हेतु अनुदान	हिताग्राही संख्या	50000	56	28.00	28.00	0.00	28.00	-	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (2.2)-		-	-	364.00	84.00	280.00	364.00	-	-	
2.3			जीविकापार्जन विकास संबंधी कार्य										
2.3.1			उद्यानिकी विकास हेतु अनुदान	हिताग्राही संख्या	50000	56	28.00	0.00	28.00	28.00	उद्यानिकी विभाग से अनुदान	उद्यानिकी विभाग	
2.3.2			मछली पालन हेतु अनुदान	हिताग्राही संख्या	50000	56	28.00	0.00	28.00	28.00	मत्स्य पालन विभाग से अनुदान	मत्स्य पालन विभाग	
2.3.3			दूध/मुर्गी पालन हेतु अनुदान	हिताग्राही संख्या	25000	56	14.00	0.00	14	14.00	पशुपालन विभाग से अनुदान	पशुपालन विभाग	
2.3.4			लघु वनोपज आधारित विकास	हिताग्राही संख्या	25000	56	14.00	0.00	14	14.00	लघु वनोपज संघ से अनुदान	वन विभाग (लघु वनोपज संघ)	
2.3.5			अन्य प्रशिक्षण	हिताग्राही संख्या	10000	56	5.60	0.00	5.60	5.60	मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना	तकनीकी शिक्षा विभाग	
			Sub Total (2.3)-		-	-	89.60	0.00	89.60	89.60	-	-	
2.3.6			अनुदान राशि	प्रारंभिक संख्या	75000	56	42.00	42.00	0.00	42.00	अनुदान राशि	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (2.5&2.6) -		-	-	42.00	42.00	0.00	42.00	-	-	
			Total (2) -		-	-	859.60	490.00	369.60	859.60	-	-	
3			सामुदायिक अयोसंरचना विकास कार्य										
3.1			पेयजल व्यवस्था	हैण्डपम्प की स्थापना संख्या	90000	8	7.20	7.20	0.00	7.20	-	एन.टी.सी.ए.	
3.2			नल जल योजना (बोर खनन/टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की व्यवस्था)	परिवार संख्या	100000	56	56.00	56.00	0.00	56.00	-	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (3.1) -		-	-	63.20	63.20	0.00	63.20	-	-	
3.3			सिंचाई जलस्रोत विकास	No.	2500000	2	50.00	50.00	0.00	50.00	-	एन.टी.सी.ए.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3.1			निरासरी लालाव निर्माण कार्य	Hac.	2500000	2	50.00	0.00	50.00	50.00	मनरेगा	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	
			पंचरी सहित										
			Sub Total (3.2) -	-	-	-	100.00	50.00	50.00	100.00	-	-	
3.4			सड़क निर्माण कार्य	Km.	200000	6	12.00	12.00	0.00	12.00	-	एन.टी.सी.ए.	
3.4.1			सी.सी. रोड निर्माण कार्य	Km.	4500000	3	135.00	135.00	0.00	135.00	-	एन.टी.सी.ए.	
3.4.2			रपट्टा पुलिया निर्माण कार्य	No.	700000	6	42.00	42.00	0.00	42.00	-	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (3.3) -	-	-	-	189.00	189.00	0.00	189.00	-	-	
3.5			विद्युतीकरण	परिवार संख्या	50000	56	28.00	0.00	28.00	28.00	मुख्यमंत्री मजदूरी योजना	विद्युत विभाग	
3.6			वृक्षारोपण/घासराह	Hac.	300000	10	30.00	0.00	30.00	30.00	हरियर छत्तीसगढ़	वन विभाग	
3.6.1			बांस रोपण कार्य	Hac.	300000	10	30.00	0.00	30.00	30.00	हरियर छत्तीसगढ़	वन विभाग	
3.6.2			घास रोपण कार्य	Hac.	75000	10	7.50	0.00	7.50	7.50	पशुपालन विभाग	पशुपालन विभाग	
			Sub Total (3.5) -	-	-	-	67.50	0.00	67.50	67.50	-	-	
3.7			सामुदायिक संपत्ति विकास										
3.7.1			मुक्तिधाम निर्माण कार्य	No.	500000	1	5.00	5.00	0.00	5.00	-	एन.टी.सी.ए.	
3.7.2			प्राथमिक शाला भवन निर्माण	No.	850000	1	8.50	8.50	0.00	8.50	-	एन.टी.सी.ए.	
3.7.3			माध्यमिक शाला भवन निर्माण	No.	1250000	1	12.50	12.50	0.00	12.50	-	-	
3.7.4			आंगनवाड़ी भवन निर्माण	No.	750000	1	7.50	7.50	0.00	7.50	-	एन.टी.सी.ए.	
3.7.5			सामुदायिक भवन	No.	650000	1	6.50	6.50	0.00	6.50	-	एन.टी.सी.ए.	
			Sub Total (3.6.1) -	-	-	-	40.00	40.00	0.00	40.00	-	-	
			Total (3) -				487.70	342.20	145.50	487.70	-	-	
			Grand Total -	-	-	-	1355.30	840.20	515.10	1355.30	-	-	
			लागत प्रति परिवार				24.20	15.00	9.20	24.20	0.00		

टीप-

- ग्राम विस्थापन कार्य के अंतर्गत एन.टी.सी.ए. से रु. 15.00 लाख प्रति परिवार एवं विभिन्न विकास योजनाओं कनवरजेंस से रु. 9.20 लाख कुल रु. 24.20 लाख प्रति परिवार राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- उपरोक्तानुसार एन.टी.सी.ए. एवं कनवरजेंस के माध्यम से विस्थापित परिवारों को अधिक से अधिक लाभ दिये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।



उप संचालक

अवानकभार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मंगेरी (छ.ग.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

प्रपत्र - 1 का गोशवारा (प्रस्तावित घटक अनुसार व्यय)

अवानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव - बिरारपानी एवं छिरहट्टा, परिवार संख्या - 56

क्र.	घटक	उप घटक	विवरण	यूनिट	दर प्रति यूनिट (रूपये)	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)			कन्वर्जेन्स हेतु प्रस्तावित योजना	विकास विभाग का नाम	रिमार्क
								NTCA	Convergence	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन			-	-	56	8.00	8.00	0.00	8.00			
2	हितग्राहीमूलक कार्य			-	-	56	859.60	490.00	369.6	859.6			
3	सामुदायिक अधोसंरचना विकास कार्य			-	-	56	487.7	342.2	145.5	487.7			
	Total-			0	0	56	1355.30	840.20	515.10	1355.30			

लागत प्रति परिवार

24.20

15.00

9.20

24.20

प्रपत्र - 1 का गोशवारा (घटक अनुसार प्रति परिवार प्रस्तावित व्यय)

अवानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव - बिरारपानी एवं छिरहट्टा, परिवार संख्या - 56

क्र.	घटक	उप घटक	विवरण	यूनिट	दर प्रति यूनिट (रूपये)	मात्रा	आवश्यक राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्त पोषण (रु. लाख में)			कन्वर्जेन्स हेतु प्रस्तावित योजना	विकास विभाग का नाम	रिमार्क
								NTCA	Convergence	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन			-	-	56	0.14	0.14	0.00	0.14			
2	हितग्राहीमूलक कार्य			-	-	56	15.35	8.75	6.60	15.35			
3	सामुदायिक अधोसंरचना विकास कार्य			-	-	56	8.71	6.11	2.60	8.71			
	Total-			0	0		24.20	15.00	9.20	24.20			

उप संचालक

अवानकमार टाईगर रिजर्व

लोरेमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)